



उत्तर प्रदेश में पंचायत उद्योगों
द्वारा
उत्पादित एवं पूर्ति की जाने वाली
वस्तुओं की सूची
एवं प्रमुख शासनादेश



निदेशक, पंचायत राज उत्तर प्रदेश, द्वारा प्रकाशित
(1992-93 तक संशोधित)

विषय सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	लकड़ी का फर्नीचर एवं विभिन्न सामान बनाने वाले पंचायत उद्योग	1
2.	लोहे से निर्मित सामान (स्टील, आल्मारी, जंगला आदि) बनाने वाले पंचायत उद्योग ।	16
3.	टाट-पट्टी का निर्माण करने वाले पंचायत उद्योग	23
4.	खड़खड़ा इक्का, तांगा आदि का निर्माण करने वाले पंचायत उद्योग	27
5.	कृषि यन्त्र निर्माण करने वाले पंचायत उद्योग	30
6.	बैलगाड़ी बुग्गी (डनलप कार्टस) बनाने वाले पंचायत उद्योग	33
7.	टीन के बक्से, बखारी, तथा अन्य सामान बनाने वाले पंचायत उद्योग	38
8.	सीमेंट से निर्मित होने वाले सामानों के निर्माता पंचायत उद्योग (नाद, गमले, शौचालय सेट ह्यूम पाइप) आदि ।	49
9.	प्रिंटिंग प्रेस द्वारा छपाई का कार्य करने वाले पंचायत उद्योग	58
10.	अभ्यास पुस्तिका निर्माण करने वाले उद्योग	60
11.	स्टेशनरी (रूप-पत्र) का निर्माण करने वाले उद्योग	61
12.	स्टेशनरी रबड़, पेंसिल, पटरी, मानचित्र, डस्टर, रोलबोर्ड, चाक और स्लेट बत्ती आदि का विक्रय करने वाले पंचायत उद्योग	64
13.	दरी कालीन और फर्श बनाने वाले पंचायत उद्योग	64
14.	बान, (मूज) निर्माण करने वाले उद्योग	65
15.	नाव बनाने वाले पंचायत उद्योग	65
16.	कपड़ा बनाने वाले पंचायत उद्योग	66
17.	बीड़ी का निर्माण करने वाले पंचायत उद्योग	66
18.	चमड़े तथा साबुन निर्माण का कार्य करने वाले पंचायत उद्योग	67
19.	कम्बल तथा मोमबत्ती बनाने वाले पंचायत उद्योग	68
20.	ऊन से सामान तैयार करने वाले पंचायत उद्योग	68
21.	रिंगाल, बांस से विभिन्न सामान के उत्पादक उद्योग	69
22.	नर्सरी, रिक्शा असेम्बलिंग, रिक्शा, साइकिल, सिलाई मशीन का क्रय-विक्रय करने वाले पंचायत उद्योग	69
23.	दाल, दलिया तथा आटा पिसाई करने वाले पंचायत उद्योग	70
24.	पत्थर का सामान तथा स्लेट बनाने वाले पंचायत उद्योग	71
25.	लकड़ी के खिलौने, कुएँ की निवाड़ और लकड़ी से कोयला बनाने वाले उद्योग	71
26.	धूम्र रहित चूल्हा, तेल, फाइबरग्लास, धान चक्की व गुमरी बनाने वाले उद्योग	72
27.	पालीथिन बैग, हड्डी व मोती की माला, कम्बक व बोरी, लपड़े पर रंगाई, करघा निर्माण और डीबल इंजन का विक्रय करने वाले उद्योग	74
28.	महत्वपूर्ण शासनादेश	1

1
16
23
27
30
33
38

प्रेषक,

निदेशक,
पंचायत राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालय अध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

संख्या : 2/31/1-91/2/6/95/87

31 जनवरी, 1994

विषय : सत्यापित पंचायत उद्योगों की सूची।

महोदय,

उपर्युक्त परिपत्र संख्या-2/31/1-91/2/6/95/87 दिनांक 4 जनवरी, 1991 के सन्दर्भ में निवेदन करना है कि प्रदेश में गांव सभाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने तथा स्थानीय रोजगार के स्रोत सृजित करने के उद्देश्य से प्रदेश में दो या दो से अधिक गांव पंचायतों द्वारा संयुक्त समिति की स्थापना की गई है।

पंचायत उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आदेश सं०-50-38ग/33-371-74 दिनांक 19.7.79 के अन्तर्गत पंचायत उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं का समस्त सरकारी विभागों एवं पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्रय के लिये टेण्डर या कोटेशन मांगने के प्रतिबन्ध से मुक्ति प्रदान की गई है। साथ ही यह आदेश भी दिये गये हैं कि समस्त सरकारी विभाग अपनी आवश्यकता की वस्तुएं अनिवार्य रूप से प्रथमतः पंचायत उद्योग से ही क्रय करें। यह भी आदेश दिये गये हैं कि निदेशक पंचायत राज उत्पादित किये जा रहे सामानों से सम्बन्धित उद्योगों की सूची समस्त इन्डेंटिंग आफिसर्स को भेजेंगे ताकि पंचायत उद्योग से खरीददारी में सुविधा रहे। इसी सन्दर्भ में प्रस्तुत सूची प्रकाशित की गई है। एवं शासनादेश संख्या-2533/15-5-91 दिनांक 23-6-91 के अन्तर्गत पंचायत उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं का शैक्षिक संस्थाओं के प्रयोगार्थ प्राथमिता के आधार पर क्रय करने हेतु बल दिया गया है।

वर्ष 1992-93 में प्रदेश में कृषि जनपदों में प्रिन्टिंग प्रेस स्थापित किये गये हैं जो शासकीय/अर्द्ध-शासकीय संस्थाओं की उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रिन्टिंग का कार्य कुशलता पूर्वक कर रहे हैं जिनकी भी सूची इस पुस्तिका में इंगित कर दी गई है। आशा है कि इन पंचायत उद्योगों को अपनी आवश्यकतानुरूप छपाई का कार्य सौंपने पर विचार करने का कष्ट करेंगे।

एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम, बेसिक शिक्षा विद्यालयों एवं अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों आदि में आने वाले साज सज्जा के सामान जो लकड़ी टीन अथवा लोहे से निर्मित होते हैं के उत्पादन के लिए पंचायत उद्योग सक्षम हैं। अतः सभी जिलों में आवश्यकता की वस्तुओं को पंचायत उद्योगों से क्रय करने के लिए प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए।

बड़े-बड़े शहरों जैसे लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ, आगरा आदि में सरकारी कार्यालय अधिक होने से इस बात की संभावना है कि उन जिलों में स्थापित पंचायत उद्योग उनको मांग के अनुसार पर्याप्त सामान की आपूर्ति न कर सकें। ऐसी स्थिति में इस पुस्तिका में दिए गए उद्योग सारे प्रदेश के लिए अधिसूचित किए जा रहे हैं अतः विभागों से अनुरोध है कि वे सीधे उन उद्योगों से भी सामान क्रय कर सकते हैं जो उनके जिले में स्थापित नहीं हैं।

समन्वित ग्राम विकास कार्यालय और ग्रामीण आवास निर्माण जैसे कार्यक्रमों के अन्तर्गत आपेक्षित वस्तुओं की आपूर्ति के कार्य में पंचायत उद्योगों को समुचित प्राथमिकता दी जा सकती है। अतः संबंधित अधिकारियों से अपेक्षा है कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन तथा आयुक्त कृषि उत्पादन के आदेशों के परिपेक्ष्य में विभागीय खरीददारी पंचायत उद्योग से ही कराए।

बहुत से जनपदों में स्टेशनरी आदि की बढ़ती हुई आवश्यकता को दृष्टि में रखकर पंचायत उद्योगों द्वारा प्रेस की स्थापना का कार्य भी किया गया है। विभागों से अनुरोध है कि वे छपाई तथा स्टेशनरी आदि से संबंधित कार्य भी पंचायत उद्योगों से कराने का कष्ट करें।

जहां तक पंचायत उद्योगों में निर्मित या उत्पादित सामानों की गुणवत्ता की बात है उसको बढ़ाने के लिए विभागीय स्तर से पूरा-पूरा प्रयास किया जा रहा है। यदि इस संबंध में किसी स्तर से कोई शिकायत प्रकाश में आती है तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करने का कष्ट करें ताकि उसका तत्काल निराकरण कराया जा सके।

पंचायत उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी कम करने तथा पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने तथा प्रकारान्तर में ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय स्रोत प्रदान करने के लिए ठोस कदम है। अतः आपसे अनुरोध है कि इन्हें सफल बनाने के लिए आप अपना पूरा-पूरा सहयोग दें और अधिक से अधिक सरकारी खरीद पंचायत उद्योगों से करने का कष्ट करें। तात्कालिक संदर्भ हेतु शासनादेश भी पुस्तिका के अन्त में छाप दिए गए हैं।

भवदीय,

डा० राजा राम

निदेशक पंचायत राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या-2/1/31-9 उक्त दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त/संयुक्त/उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पंचायत) उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6- समस्त जिला अनौपचारिक शिक्षाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 7- समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

डा० राजा राम

निदेशक

पंचायत राज, उत्तर प्रदेश।

प्रेषक,

निदेशक,
पंचायत राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त, विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालय अध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

संख्या :-2/31/1—91/2/6/95/87

4 जनवरी 1991

विषय :-सत्यापित पंचायत उद्योगों की सूची।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में यह कहना है कि प्रदेश में गांव सभाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने तथा स्थानीय रोजगार के स्रोत सृजित करने के उद्देश्य से प्रदेश में दो या इस से अधिक गांव पंचायतों द्वारा संयुक्त समिति की स्थापना की गई है और यह संयुक्त समितियां पंचायत उद्योग चला रही हैं।

पंचायत उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आदेश सं०/50-38ग/33-371-74 दि० 19-7-76 के अन्तर्गत पंचायत उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं का समस्त सरकारी विभागों एवं पंचायती राज संस्थायों द्वारा क्रय के लिये टेण्डर या कोटेशन मांगने के प्रतिबन्ध से मुक्ति प्रदान की गई है। साथ ही यह आदेश भी दिये गये हैं कि समस्त सरकारी विभाग अपनी आवश्यकता की वस्तुयें अनिवार्य रूप से प्रथमतः पंचायत उद्योगों से ही क्रय करे। यह भी आदेश दिये गये हैं कि निदेशक पंचायत राज उत्पादित किये जा रहे सामानों से सम्बन्धित उद्योगों की सूची समस्त इन्डेंटिंग आफिसर्स को भेजे ताकि पंचायत उद्योग से खरीददारी में सुविधा रहे। इसी सन्दर्भ में प्रस्तुत सूची प्रकाशित की गई है।

एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम, बेसिक शिक्षा विद्यालयों एवं अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों आदि में काम आने वाले साज-सज्जा के सामान जो लकड़ी, टीन अथवा लोहे से निर्मित होते हैं, के उत्पादन के लिये पंचायत उद्योग सक्षम हैं। अतः सभी जिलों में आवश्यकता की वस्तुओं को पंचायत उद्योगों से क्रय करने के लिये प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिये।

बड़े-बड़े शहरों जैसे लखनऊ कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ, आगरा आदि में सरकारी कार्यालय अधिक होने से इस बात की सम्भावना है कि उन जिलों में स्थापित पंचायत उद्योग उनको मांग के अनुसार पर्याप्त सामान की आपूर्ति न कर सकें। ऐसी स्थिति में इस पुस्तिका में दिये गये उद्योग सारे प्रदेश के लिये अधिसूचित किये जा रहे हैं अतः विभागों से अनुरोध है कि वे सीधे उन उद्योगों से भी सामान क्रय कर सकते हैं जो उनके जिले में स्थापित नहीं हैं।

समन्वित ग्राम विकास कार्यालय और ग्रामीण आवास निर्माण जैसे कार्यक्रमों के अन्तर्गत आपेक्षित वस्तुओं

की आपूर्ति के कार्य में पंचायत उद्योगों को समुचित प्राथमिकता दी जा सकती है। अतः सम्बन्धित अधिकारियों से अपेक्षा है कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन तथा आयुक्त कृषि उत्पादन के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में विभागीय खरीदारी पंचायत उद्योग से ही करायें।

बहुत से जनपदों में स्टेशनरी आदि की बढ़ती हुई आवश्यकता को दृष्टि में रखकर पंचायत उद्योगों द्वारा प्रेस की स्थापना का कार्य भी किया गया है। विभागों से अनुरोध है कि वे छपाई तथा स्टेशनरी आदि से सम्बन्धित कार्य भी पंचायत उद्योगों से कराने का कष्ट करें।

जहां तक पंचायत उद्योगों में निर्मित या उत्पादित सामानों की गुणवत्ता की बात है उसको बढ़ाने के लिए विभागीय स्तर से पूरा-पूरा प्रयास किया जा रहा है। यदि इस सम्बन्ध में किसी स्तर से कोई शिकायत प्रकाश में आती है तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करने का कष्ट करें ताकि उसका तत्काल निराकरण कराया जा सके।

पंचायत उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी कम करने तथा पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने तथा प्रकरान्तर में ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय स्रोत प्रदान करने के लिए एक ठोस कदम है। अतः आपसे अनुरोध है कि इन्हें सफल बनाने के लिए आप अपना पूरा-पूरा सहयोग दें और अधिक से अधिक सरकारी खरीद पंचायत उद्योगों से करने का कष्ट करें। तात्कालिक संदर्भ हेतु शासनादेश भी पुस्तिका के अन्त में छाप दिए गए हैं।

भवदीय,
एस० सी० रस्तोगी
निदेशक
पंचायत राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या 2/1/31-91 उक्त दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- 1— समस्त मंडलायुक्त, उ०प्र०।
- 2— समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 3— समस्त संयुक्त/उप विकास आयुक्त, उ०प्र०।
- 4— समस्त मंडलीय उप निदेशक (पंचायत) उ०प्र०।
- 5— समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
- 6— समस्त जिला अनौपचारिक शिक्षाधिकारी, उ०प्र०।
- 7— समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ०प्र०।

एस० सी० रस्तोगी
निदेशक
पंचायत राज, उत्तर प्रदेश।

लकड़ी का फर्नीचर एवं विभिन्न सामान आदि

नाम जिला

पंचायत उद्योग का नाम

मेरठ मण्डल

1- गाजियाबाद

2- बुलन्दशहर

3- मेरठ

4- मुजफ्फरनगर

1- हापुड़

2- डासना

3- उखलारसी

4- भोजपुर

5- बहादुरगढ़

6- अमरगढ़

7- डिवाई

8- अनूपशहर

9- नयागाँव

10- पहासू

11- ऊचागाँव

12- हस्तिनापुर

13- बड़ौत

14- बागपत

15- दौराला

16- जानी

17- मवाना

18- रजपुरा

19- माछरा

20- सरधना

21- बिनौली

22- परीक्षतगढ़

23- सरवट

24- खतौली

नाम जिला	पंचायत उद्योग का नाम	
5- सहारनपुर	25- जानसठ	
	26- चरथावल	
	27- शाहपुर	
	28- रामपुर मनिहारन	
	29- मायापुर रूपपुर	
	30- छुटमलपुर	
	31- चौरादेव	
	32- भायला	
	6- हरिद्वार	33- रुड़की
		34- मुजफराबाद
35- लिम्बर हेड़ी		
आगरा मण्डल		
7- अलीगढ़	36- सासनी	
	37- ठर्रा	
	38- हरदुआगंज	
	39- गाँवखेड़ा	
	40- मजरगढ़ी	
	8- आगरा	41- खंदोली
		42- फतेहाबाद
		43- सैया
		44- शमशाबाद
		45- बरौली अहीर
46- फतेहपुर सोकरी		
47- पिनाहट		
48- बिचपुरी		
49- जैतपुरकलां		
50- अछनेरा		
51- बाह		
52- जगनेर		
53- एत्मादपुर		

	54- खेरागढ़
	55- अकोला
9- एटा	56- अमापुर
	57- सिद्धपुरा
	58- सहावर
	59- कासगंज
	60- बनगांव
10- मैनपुरी	61- जागीर सगामई
	62- मैनपुरी देहात
11- मथुरा	63- औरंगाबाद
मण्डल	
12- पीलीभीत	64- पीलीभीत सदर
	65- पूरनपुर
	66- मरौरी
	67- अमरिया
	68- बरखेड़ा
	69- ललौरी खेड़ा
	70- बिलसंडा
13- बरेली	71- भोजपुरा
	72- खलीलपुर
	73- भमौरा
	74- मीरगंज
14- बदायूं	75- जगत
	76- सहसवान
	77- गुन्नौर
	78- जूनावई
	79- म्याऊ
	80- इस्लामनगर
	81- बण्डा
15- शाहजहाँपुर	82- मिश्रीपुर

नाम	पंचायत उद्योग का नाम
	83- तिलहर
	84- ददरौल
	85- जलालाबाद
	86- निगोही
	87- खुटार
	88- कलान
	89- मिर्जापुर
	90- कांठ
	91- खुदागंज
	92- जैतीपुर
	93- सिन्धौली
	94- पुवायां
मुरादाबाद मण्डल	
16- बिजनौर	95- रावली
	96- नजीबाबाद
	97- धामपुर
	98- नहटौर
	99- अफजलगढ़
	100- कोतवाली
	101- हल्दौर
	102- जलीलपुर
17- मुरादाबाद	103- बहजोई
	104- मौड़ी हजरतपुर
	105- पीपलसाना
	106- हसनपुर
	107- डकियानरु
	108- कासमपुर
	109- असमौली
	110- ढिलारी
	111- बनियाखेड़ा

नाम	पंचायत उद्योग का नाम
	112- पाकवाड़ा
	113- अमरोहा
	114- तुर्तीपुर इल्ला
18- रामपुर	115- पटवाई
	116- धमौरा
इलाहाबाद मण्डल	
19- इटावा	117- बसरेहर
	118- सहार
20- इलाहाबाद	119- प्रतापपुर
	120- फूलपुर
	121- होलागढ़
	122- धनूपुर
	123- पूरामुफती
	124- शंकरगढ़
	125- बहरिया
	126- हनुमानगंज
	127- जिला पंचायत उद्योग इलाहाबाद पो० (पूरेगड़ेरिया)
	128- सरसवा
	129- मऊआइमा
	130- सैदाबाद
	131- कन्हैली
	132- कोरांव
	133- जसरा
	134- सोरांव
	135- करछना
	136- कोंडिहार
	137- सिराथू
	138- मांडा
	139- मंझनपुर

नाम जिला	पंचायत उद्योग का नाम	
21- प्रतापगढ़	140- कौंधियारा	
	141- शोभना	
	142- नेवदा	
	143- कुण्डा	
	144- लालगंज	
कानपुर मण्डल 22- कानपुर	145- पट्टी	
	146- सरसोल	
	147- झीझक	
	148- अमबरपुर	
	149- चौबेपुर	
	150- घाटमपुर	
	151- विघ्नू	
	23- फर्रुखाबाद	152- भोलेपुर
		153- नवाबगंज
		154- छिवरामऊ
		155- कायमगंज
156- सराय प्रयाग		
24- फतेहपुर	157- कन्नौज	
	158- पाली	
	159- गाजीपुर	
	160- मलवा	
	161- तेलियानी	
झांसी मण्डल 25- जालौन	162- जगन्मपुर (रामपुरा)	
	163- कौंच	
	164- एट	
	165- कदौरा	
	166- कालपी	
	167- जालौन	

नाम जिला

पंचायत उद्योग का नाम

26- झांसी

- 168- माधोगढ़
 169- नदीगाँव
 170- चिरगांव
 171- मऊरानीपुर
 172- बामौर
 173- मोंठ
 174- बवीना
 175- गुरसराय
 176- बंगरा
 177- समथर

27- बांदा

- 178- कर्वी
 179- नरैनी
 180- बबेरू

28- ललितपुर

- 181- बांसी
 182- मेहरीनी
 183- मड़ाबरा
 184- बानपुर
 185- खांदी

29- हमीरपुर

- 186- मुस्करा
 187- सुमेरपुर
 188- कुरारा
 189- गोहाण्ड
 190- महोबा
 191- राठ
 192- जैतपुर
 193- सरीला
 194- पनवाड़ी
 195- चरखारी

वाराणसी मण्डल

30- गाजीपुर

196- रेवतीपुर

नाम जिला	पंचायत उद्योग का नाम
	197- बिरनी
	198- सैदपुर
	199- मरदह
	200- मुहम्मदाबाद
	201- भावरकोल
	202- जखनियां
	203- बाशाचवर
	204- मनिहारी
	205- गाजीपुर
31- जौनपुर	206- करंजाकला
	207- जलालपुर
	208- खेतासराय
	209- खुटहन
	210- जगदीशपुर
	211- मडियाहूं
	212- सिकरारा
	213- बरसठी
	214- मुगराबादशाहपुर
	215- सुइथा कला
	216- मछली शहर
	217- सुजानगंज
	218- महाराजगंज
	219- बक्शा
32- बलिया	220- बाँसडीह
	221- दुबहड़
	222- हनुमानगंज
	223- रसड़ा
	224- नवा नगर
	225- पन्द्रह
	226- मुरलोछपरा

नाम विभाग	पंचायत उद्योग का नाम
33- मिर्जापुर	227- उजियार (सोहाव)
	228- रेवती
	229- नगरा
	230- सीयर
	231- बैरिया
	232- बेरुआरवारी
	233- मनियर
	234- बेलहरी
	235- फेफना
	236- चुनार
	237- अधौली
	238- खैरा
	239- मडिहान
	240- लालगंज
	241- विजयपुर
	242- चील्ह
	243- देवहर
34- सोनभद्र	244- कछवा बाजार
	245- बरईपुर
	246- राजगढ़
	247- राबर्टसगंज
	248- चतरा
	249- चोपन
	250- बुटबेढ़वा
35- वाराणसी	251- म्योरपुर
	252- लोहान्डी
	253- बभानी
	254- सुरियावाँ
	255- सेवापुरी
	256- शाहबगंज

नाम	पंचायत उद्योग का सामान
	257- चिरईगाँव
	258- सकलडीहा
	259- ज्ञानपुर
	260- धानापुर
	261- आराजी लाईन
	262- डीघ
	263- चहनियाँ
	264- बरहनी
	265- चन्दौली
	266- पिण्डरा
	267- नियामताबाद
	268- हरहुआ
	269- चोलापुर
	270- औराई
	271- काशी विद्यापीठ

गोरखपुर मण्डल

36- आजमगढ़

- 272- रानी की सराय
- 273- महाराजगंज
- 274- मिर्जापुर
- 275- अहिरोला
- 276- ठेकमा
- 277- तरवा
- 278- मेंहनगर
- 279- सठियाँव
- 280- पल्हनी
- 281- अतरैलिया
- 282- लालगंज
- 283- जहानागंज
- 284- पवई

नाम जिला	पंचायत उद्योग का नाम
37- मऊ	285- मुहम्मदाबाद
	286- रानीपुर
	287- गोठा
38- मोरखपुर	288- गोला
	289- सहजनवां
	290- बासगांव
	291- पाली
	292- पिपराइच
	293- बड़हलगंज
	294- खोराबार
	295- पिपरौली
	296- गगहा
	297- कम्पियरगंज
	298- कौड़ीराम
	299- सरदारनगर
	300- बृहमपुर
	301- भटहट
	302- जंगल कौड़िया
303- बेलघाट	
304- खजनी	
39- महाराजगंज	305- महाराजगंज
	306- पनियरा
	307- परतावल
	307- धुधली
	308- सिसवा
	309- निचलोल
	310- मिदौरा
	311- फरेन्दा
312- बृजमनगंज	

नाम जिला

पंचायत उद्योग का नाम

40 - देवरिया

- 313- लक्ष्मीपुर
 314- नौतनवाँ
 315- देवरिया सदर
 316- विशुनपुरी
 317- खड्डा
 318- कप्तानगंज
 319- मोतीचक
 320- लार
 321- बनकटा
 322- पडरोना
 323- पथदेवा
 324- रुद्रपुर
 325- तमकुही
 326- बरहज
 327- फाजिल नगर
 328- रामकोला
 329- साऊघाट
 330- हैसर बजार
 331- कुद्ररहा
 332- रुधौली
 333- हरैया
 334- कप्तानगंज
 335- मुण्डेखा
 336- आमा
 337- विक्रमजीन
 338- नौगढ़
 339- क० मुंडिला
 340- ख० मिढवल
 341- ग० साथा
 342- घ० खेशरहा

41- सिद्धार्थ नगर

नाम जिला

पंचायत उद्योग का नाम

लखनऊ मण्डल

42- उन्नाव

343- उन्नाव सदर

344- सि० सरौसी

345- बिच्छिया

346- विषापुर

43- खीरी

347- उपकेन्द्र लखीपुर

348- निघासन

44- रायबरेली

349- सिंहपुर

350- बहादुरपुर

351- जालगंज

45- लखनऊ

352- चिनहठ

353- गोसाईगंज

354- महिलाबाद

355- सरोजनी नगर

356- कोकोरी

46- सीतापुर

357- खैराबाद

358- सिधौली

359- महीली

360- मिश्रिख

361- महमूदाप्राद

362- बिसवाँ

47- हरदोई

363- हरदोई सदर

364- उतरा (हरियावाँ)

365- कोथावाँ

366- सांडी

367- टोडरपुर

368- शाहाबाद

नाम जिला	पंचायत उद्योग का नाम
फैजाबाद मण्डल	369- पचपेड़वा
44-गोण्डा	349- गैसड़ी
	370- पड़री कृपाल
	371- फैजाबाद सदर
45- फैजाबाद	372- कुमारगंज
	373- हैरिगटनगंज
	374- तारुन
	375- वीकापुर
	376- मसौधा
	377- इकोना
46- बहराइच	378- नवाबगंज
	379- विशेश्वरगंज
	380- जमुनहाँ
	381- बलहा
	382- जरवल
	383- बहराइच सदर
	384- गुटरिया
	385- बशपुरवा
	386- गिलौला
47- बाराबंकी	387- बंकी
	388- मसौली
	389- राम नगर
	390- हरख
48- सुल्तानपुर	391- शिवपुर
	392- विशेषरगंज
	393- दोस्तपुर
	394- कटरा लालगंज

नाम जिला

पंचायत उद्योग का नाम

गढ़वाल मण्डल

49- उत्तरकाशी	395- ढुणडा
50- चमोली	396- गोचर
	397- देवाल
	398- मक्कू उपाड़ा
51- टिहरीगढ़वाल	399- जाखणीघार
52- पौड़ीगढ़वाल	400- दुगडडा
53- देहरादून	401- डैसवाला
	402- एन्फील्डग्रान्ट

कुमायूं मण्डल

54- अल्मोड़ा	403- बागेश्वर
	404- हवालबाग
	405- सल्ट
55- नैनीताल	406- हल्द्वानी
	407- शमनगर
56- पिथौरागढ़	408- बिण

लोहे से निर्मित सामान (स्टील अलमारी, जंगला आदि)

पंचायत उद्योग का नाम

नाम जिला	पंचायत उद्योग का नाम
मेरठ मण्डल	
1- मेरठ	1- हस्तिनापुर
2- गाजियाबाद	2- बहादुर गढ़
	3- हापुड़
	4- भोजपुर
	5- उखलारसी
	6- डासना
3- मुजफ्फर नगर	7- पुरकाजी
	8- सरवट
	9- तावली
4- सहारनपुर	10- बलियाखेड़ी
	11- शामपुर मनिहारन
	12- चौरादेव
5- हरिद्वार	13- रुड़की
6- बुलन्द शहर	14- डिबाई
	15- नयागाँव
धारा मण्डल	
7- एटा	16- बनगाँव
	17- अर्मापुर
	18- सकीट
	19- निधौलीकला
	20- जलेसर
	21- पटियाली
	22- सोरों
बरेली मण्डल	
8- बरेली	23- भमौरा
	24- खलीलपुर
9- पीलीभीत	25- सदर पीलीभीत

नाम जिला	पंचायत उद्योग का नाम
10- शाहजहाँपुर	26- मिश्रीपुर
	27- निगोही
	28- पुपायां
	29- तिलहर
	30- खुटार
	31- बण्डा
	32- कांट
	33- कलान
	34- ददरील
मुरादाबाद मण्डल	
11- रामपुर	35- धमौरा
	36- पटवाई
	37- खेमपुर
12- मुरादाबाद	38- दलपतपु
	39- गजरौला
इलाहाबाद मण्डल	
13- प्रतापगढ़	40- अन्तू
	41- कुण्डा
	42- मोहनगंज
	43- लालगंज
14- इलाहाबाद	44- चाक
	45- इलाहाबाद सदर
	46- हंडिया
	47- फूजपुर
	48- करछना
	49- पूरा मुफ्ती
	50- कौड़िहार
	51- शोभना
	52- कौंधियारा

नाम	पंचायत उद्योग का नाम
कानपुर मण्डल	
15- कानपुर	53- चौबेपुर
	54- बड़पुरा
	55- दिवियापुर
	56- सराय बाबरपुर
	57- सहार
	58- चकरनगर
16- इटावा	59- ऐरवा कटरा
झांसी मण्डल	
17- झांसी	60- चिरगांव
	61- मऊरानी पुर
	62- गुरसराय
	63- मोठ
	64- बड़ा गांव
	65- वबीना
	66- समथर
	67- बामोर
	68- बेगरा
18- बांदा	69- बांदा सदर
	70- नरैनी
	71- कर्वी
19- ललितपुर	72- बिरघा
	73- महरोनी
	74- खांदी
	75- बानपुर
	76- मड़ावरा
20- हमीरपुर	77- कुरारा
	78- राठ
	79- जैसपुर
	80- चरखारी

नाम जिला	पंचायत उद्योग का नाम
21- जालौन	81- कालपी
	82- मधौगढ़
	83- कोच
वाराणसी मण्डल	
22- गाजीपुर	84- गाजीपुर सदर
	85- मरदह
	86- सैदनुर
	87- भाँवरकोल
	88- मुहम्मदाबाद
	89- जमानियाँ
	90- बाराचवर
	91- विरनो
23- वलिया	92- फेफना
	93- हनुमानगंज
24- मिर्जापुर	94- अघौली
	95- बिजयपुर
	96- चुनार
	97- खैरा
25- वाराणसी	98- पिण्डरा
	99- हरहुआ
	100- मुरियावाँ
	101- सेवापुरी
	102- शाहबगंज
	103- काशीविद्यापीठ
	104- चंदौली
	105- चहनियां
	106- चोलापुर
	107- हरहुआ
	108- चिरई गाँव

नाम जिला	पंचायत उद्योग का नाम	
25- जौनपुर	109- ज्ञानपुर	
	110- नियामताबाद	
	111- खेतासराय	
	112- मछली शहर	
	113- बदलापुर	
	114- रामपुर	
	115- राम मगर	
	116- बरसही	
गोरखपुर मण्डल	117- केराकत	
	26- आजमगढ़	
	27- गोरखपुर	118- रानी की सराय
		119- महाराजगंज
		120- मुहम्मदपुर
		121- जहाना गंज
		122- सहजनबाँ
		123- खजनी
	28- देवरिया	124- बासगाँव
		125- खोरावार
		126- देसई देवरिया
127- भागलपुर		
128- मलुअनी		
129- पथरदेवा		
130- देवरिया सदर		
131- सलेमपुर		
मखनऊ मण्डल	29- खीरी	
	30- रायबरेली	
	31- सीतापुर	
	132- लखीमपुर	
	133- वहादुरपुर	
134- सिधौली		
135- खैराबाद		
136- महोली		

32- हरदोई

33- लखनऊ

फाबाद मण्डल

34- गोंडा

35- फेजाबाद

बाल मण्डल

36-उत्तरकाशी

37-पौड़ी गढ़वाल

38-देहरादून

137- महमूदाबाद

138- विसर्वा

139- सण्डीला

140- हरदोई सदर

141- सुरसा

142- उतरा (हरियावां)

143- चिनहट

144- हलधरमऊ

145- दर्शननगर

146- डुण्डा

147- दुगड्डा

148- सतपुली

149- डैसवाला

150- एन्फील्डग्रान्ट

13

7

8

9

10

11

12

टाट पट्टी का निर्माण (जूट तथा सन से निर्मित होने वाली)

नाम जिला	पंचायत उद्योग का नाम
मेरठ मण्डल	
1- गाजियाबाद	1- बहादुरगढ़
	2- हापुड़
	3- डासना
	4- भोजपुर
	5- उखलारसी
2- बुलन्दशहड़	6- अनूप शहर
	7- बिलसूरी
	8- नयागाँव
3- मेरठ	9- रजपुरा
4- मुजफ्फर नगर	10- तावली
5- सहारनपुर	11- भायला
	12- रामपुर मनिहाशन
6- हरिद्वार	13- रुड़की
	14- लिब्वरहेड़ी
आगरा मण्डल	
7- अलीगढ़	15- सरसौल (सूत मिल)
8- आगरा	16- बरोली अहीर
9- मैनपुरी	17- मैनपुरी देहात
	18- सुल्तानगंज
10- मथुरा	19- कोसीकलाँ
	20- ओरंगाबाद
11- एटा	21- कासगंज
12- फिरोजाबाद	22- टूण्डला

नाम जिला	पंचायत उद्योग का नाम
मण्डल	
13- पीलीभीत	23- पीलीभीत सदर
14- बरेली	24- ललीरीखेड़ा
15- बदायूं	25- खलीलपुर
16- शहजहाँपुर	26- मीरगंज
	27- सिविल लाइन्स
	28- दिसौली
	29- मिश्रीपुर
	30- पुवायाँ
	31- तिलहर
	32- ददरौल
हाबाद मण्डल	
17- मुरादाबाद	33- मुरादाबाद सदर
18- रामपुर	34- कासमपुर
19- बिजनौर	35- पटवाई
	36- खेमपुर
	37- रावली
हाबाद मण्डल	
18- फतेहपुर	38- पैली
19- इलाहाबाद	39- मलवा
	40- इलाहाबाद सदर
	41- पूरे गड़ेरिया
	42- फूलपुर
	43- पूरा मुफ्ती
20- प्रतापगढ़	44- अन्तू
	45- मोहनगंज
पुर मण्डल	
21- कानपुर	46- सरसोल
	47- चौबेपुर

नाम	जिजा	पंचायत उद्योग का नाम
22-	फर्रुखाबाद	48- राजपुर
		49- गमशाबाद
		50- छिवरामऊ
		51- कायमगंज
		52- सीरिख
		53- नवाबगंज
		54- नीमकरीरी
		55- सराय प्रयाग
23-	इटावा	56- इटावा सदर
		57- दिवियापुर
झांसी मण्डल		
24-	जालीन	58- कालपी
25-	झांसी	59- मऊ रानीपुर
		60- बड़ागाँव
26-	बाँदा	61- मऊ
		62- मानिकपुर
27-	ललितपुर	63- बाँसी
28-	हमीरपुर	64- सुमेरपुर
		65- चरबारी
वाराणसी मण्डल		
29-	गाजीपुर	66- मरदह
		67- घर्खा
30-	जौनपुर	68- मछलीशहर
31-	बलिया	69- फेफना
		70- हनुमानगंज
32-	मिर्जापुर	71- चुनार
33-	वाराणसी	72- हरहुआ
		73- पिन्डरा
		74- चिरईगाँव
34-	सोनभद्र	75- राबटेंसगंज

नाम

पंचायत उद्योग का नाम

गोरखपुर मण्डल

35- आजमगढ़

36- गोरखपुर

37- देवरिया

38- बस्ती

39- मऊ

40- महाराजगंज

76- रानी की सराय

77- अजमतगढ़

78- सहजनवाँ

79- खोराबाद

80- बांसगाँव

81- सेवरही

82- देवरिया सदर

83- दुपही

84- मुडेरवा (बनकटी)

85- नाथनगर

86- आमा

87- खलीलाबाद

88- मधुबन

89- पनियरा

90- फरेन्दा

91- महाराजगंज

92- घानी

93- परतावल

लखनऊ मण्डल

41- उन्नाव

42- खीरी

43- रायबरेली

44- लखनऊ

45- सीतापुर

46- हरदोई

94- बिछिया

95- उन्नाव सदर

96- गोला

97- बहादुरपुर

98- सरोजनी नगर

99- सिधौली

100- महमूदाबाद

101- खैराबाद

102- हरदोई सदर

103- उत्तरा (हरियावाँ)

नाम विभाग पंचायत उद्योग का नाम

फैजाबाद मण्डल

47- गोण्डा

48- फैजाबाद

49- बहराइच

50- वाराबंकी

51- सुल्तानपुर

104- हलधरमऊ

105- करनैलगंज

106- दर्शननगर

107- प्रयागपुर

108- मसौली

109- बिसेसरगंज

110- शिवपुर

गढ़वाल मण्डल

52- उत्तरकाशी

53- चमोली

54- टिहरी गढ़वाल

55- पौड़ी गढ़वाल

56- देहरादून

111- डुण्डा

112- दोगड़ी काण्डई

113- जाखड़ीघार

114- दुगड्डा

115- एनफीन्डग्रान्ट

कुमायूं मण्डल

57- अल्मोड़ा

58- नैनीताल

59- पिथौरागढ़

116- बागेश्वर

117- रामनगर

118- लोहरियासाल

119- विण

खड़खड़ा, इक्का, तांगा आदि निर्माण करने वाले उद्योग

नाम जिला

पंचायत उद्योग का नाम

रठ मण्डल

1- गाजियाबाद

1- बहादुरगढ़

2- लोनी

2- बुल्दशहर

3- विलसूरी

4- जेबर

भागरा मण्डल

3- अलीगढ़

5- हरदुआगंज

6- सासनी

7- हाथरस

8- इगलास

9- मुरसान

10- सिकन्दरा राऊ

11- छर्ी

12- अकराबाद

13- सांकरा

14- हसायन

15- गांब खेड़ा

16- तलेसरा

17- छर्ी

18- कांसगंज

19- सिढ़पुरा

20- एका

21- जासराना

22- मैनपुरी देहात

23- टूण्डला

4- एटा

5- मैनपुरी

6- फिरोजाबाद

रेली मण्डल

7- पीलीभीत

24- पीलीभीत

25- पूरनपुर

नाम जिला	पंचायत उद्योग का नाम
8- बरेली	26- खलीलपुर
	27- भमौरा
9- बदायूं	28- बहेड़ी
	29- मीरगंज
	30- जगत
	31- सहसवान
	32- म्याऊं
	33- गुरनौर
	34- जुलाबई
10- जाहजहांपुर	35- मिश्रीपुर
	36- निगोहीं
	37- खुटार
	38- बण्डा
	39- मिर्जापुर
	40- ददरौल
	41- पुवायां
	42- खुदागंज
मुरादाबाद मण्डल	
11- रामपुर	43- पटवाई
12- मुरादाबाद	44- खेमपुर
	45- घमौरा
इलाहाबाद मण्डल	
13- इलाहाबाद	46- अमरोहा
14- कानपुर	47- मरुआइमा
	48- हनुमान गंज
	49- शोभना
कानपुर मण्डल	
14- कानपुर	50- हनुमानगंज
वाराणसी मण्डल	
15- बलिया	51- रतनपुर
	52- बेलहरी
	53- बैरिया

नाम जिला

पंचायत उद्योग का नाम

रखपुर मण्डल

16- गोरखपुर

54- जंगल कौडिया

17- देवरिया

55- कौड़ी राम

56- दुबही

57- लार

58- भलुअनी

59- बरहज

60- तमकुही

61- पथरुदेवा

62- भाटपार रानी

63- कसया

64- मोतीचक

65- खड्डा

66- रामकोला

67- फाजिलनगर

68- विशुनपुरा

रायं मण्डल

18- नैनीताल

69- हल्द्वानी

70- वाजपुर

71- रामनगर

लखनऊ मण्डल

19- लखनऊ

72- गोसाईगंज

20- हरदोई

73- हरदोई सदर

74- उत्तरा हरियावां

आबाद मण्डल

21- बहराइच

75- मिहीपुरवा

22- बाराबंकी

76- रामनगर

23- सुल्तानपुर

77- शिवपुर

कृषि यंत्र निर्माण करने वाले उद्योग

नाम जिला	पंचायत उद्योग का नाम
मेरठ मण्डल	
1- मेरठ	1- जानी खुर्द
	2- हस्तिनापुर
2- गाजियाबाद	3- डासना
	4- बहादुरगढ़
आगरा मण्डल	
3- अलीगढ़	5- सूतमील
4- मैनपुरी	6- जागीर सगामई
	7- किसमी
	8- बरनाहल
	9- कुरावली
बरेली मण्डल	
5- पीलीभीत	10- पीलीभीत
	11- बरखेड़ा
	12- विलसंडा
6- बरेली	13- रिछा
	14- फरीदपुर
	15- बहेड़ी
	16- भमौरा
	17- भोजीपुरा
	18- मीरगंज
	19- जवाहर पंचायत उद्योग खलीलपुर
	20- जवाहर पं० उ० खलीलपुर
मुरादाबाद मण्डल	
7- रामपुर	21- घमौरा
	22- पटवाई

नाम जिला

पंचायत उद्योग का नाम

इलाहाबाद मण्डल

8- इलाहाबाद

23- मऊ आईमा

वाराणसी मण्डल

9- वाराणसी

24- धानापुर

25- चिरईगाँव

10- जौनपुर

26- रामपुर

गोरखपुर मण्डल

11- गोरखपुर

27- सहजनवाँ

12- आजमगढ़

28- रानी की सराय

13- बस्ती

29- चोरी सिकन्दर पुर

30- बस्ती सदर

14- सिद्धार्थ नगर

31- बांसी

लखनऊ मण्डल

15- रायबरेली

32- बहादुरपुर

16- सीतापुर

33- खैराबाद

17- हरदोई

34- हरदोई सदर

35- हरियावाँ

36- बिलग्राम

37- शाहाबाद

38- संडीला

39- कोथावाँ

40- कछौना

41- साँडी

42- चिनहट

18- लखनऊ

गढ़वाल मण्डल

19- पौड़ी गढ़वाल

43- दुगड्डा

44- सतपुली

45- बालासोड़

20- देहरादून

46- डैसवाला

दुमनायूं मण्डल

बैलगाड़ी या बुगी [इनलप कार्टस] निर्माण

नाम जिला	पंचायत उद्योग का नाम
मेरठ मण्डल	
1- गाजियाबाद	1- बहादुरगढ़
	2- डासना
	3- हापुड़
	4- उखलारसी
	5- धौलाना
	6- भोजपुर
	7- भोवापुर मस्ताननगर
	8- लोनी
	9- दादरी
	10- विसरख
2- मुजफ्फरपुर	11- जेवर
3- बुलन्दशहर	12- सयाना
	13- जहाँगीराबाद
4- मेरठ	14- रजपुरा
	15- माछरा
	16- सरधना
	17- हस्तिनापुर
	18- वड़ौत
	19- जानी
	20- बागपत
	21- परिक्षतगढ़
	22- दौराला
	23- बिनौली
	24- मवाना
5- सहारनपुर	25- भायला
	26- छुटमलपुर

नाम जिला

पंचायत उद्योग का नाम

6- हरिद्वार

27- मायापुर

28- रुड़की

29- लिस्वरहेडी

आगरा मण्डल

7- अलीगढ़

30- सारसौल सूतामल

31- हदुआगंज

32- जवां

33- इगलास

34- हाथरस

35- सासनी

36- सिकन्दराराऊ

37- हसायन

38- अकराबाद

39- गाँवखेड़ा

40- छर्वा

41- सांकरा

42- खैर

43- चन्डौंस

44- टप्पल

8- आगरा

45- ऐत्मादपुर

46- बरीली अहीर

47- फतेहाबाद

9- एटा

48- अमापुर

49- कासगंज

50- सिढ़पुरा

10- मैनपुरी

51- मैनपुरी देहात

52- कुरावली

53- बरनाहल

54- घिरोर

नाम जिला	पंचायत उद्योग का नाम
बरेली मण्डल	55- पीलीभीत
13- पीलीभीत	56- पूरनपुर
	57- विलसंडा
	58- ललौरीखेड़ा
14- बरेली	59- खलीलपुर
	60- पिथरी चैनपुर
15- बदायूं	61- बदायूं (सदर)
	62- बिसौली
	63- सहसवान
	64- उझानी
	65- जगत
	66- जूनाबई
	67- मियाऊ
	68- इस्लामनगर
	69- गुरनौर
16- शाहजहांपुर	70- निगोही
	71- बन्डा
	72- खुटार
	73- तिलहर
	74- मिश्रीपुर सदर
	75- कांठ
	76- पुवायाँ
	77- खुदागंज
	78- ददरौल
	79- मिर्जापुर
मुरादाबाद मण्डल	80- पाकवाड़ा
17- मुरादाबाद	81- मुरादाबाद

नाम जिला

पंचायत उद्योग का नाम

	82- दलपतपुर
	83- वहजोई
	84- मौड़ी हजरतपुर
	85- पीपलसाना
	86- ढकियानरु
	87- गुलामपुर
	88- धनौरा
	89- कासमपुर
	90- असमौली
	91- जोया
	92- डिलारी
	93- रतूपुरा
18- रामपुर	94- पटवई
	95- खेमपुर
	96- चमौरा
	97- अजीतपुर
19- बिजनौर	98- कोतवाली
	99- नजीबाबाद
	100- कीरतपुर
	101- धामपुर
	102- हल्दौर
	103- कांकू नहटौर
	104- नूरपुर
	105- अफजलगढ़
मनपुर मण्डल	106- छिवटामऊ
20- फर्रुखाबाद	107- उर्मदा
	108- जलालाबाद
	109- नादेमऊ
	110- कन्नौज

नाम जिला	पंचायत उद्योग का नाम
झांसी मण्डल	
21- झांसी	111- बामौर
	112- मोठ
22- बाँदा	113- वबेरू
23- हमीरपुर	114- गोहाँडु
वाराणसी मण्डल	
24- बलिया	115- मनियार
	116- बेहआर बारी
गोरखपुर मण्डल	
25- गोरखपुर मण्डल	117- सहजनवा
	118- बांसगाँव
	119- खोराबार
	120- पिपरीली
	121- गगहा
	122- कौड़ीराम
	123- चरगावा
	124- खजता
	125- गोला
	126- ब्रह्मपुर
	127- भटहट
	129- जंगल कौड़िया
	130- कैम्यिरगंज
	131- बड़हलगंज
26- देवरिया	132- भागलपुर
	133- पड़रौना
	134- सेवरही
27- बस्ती	135- खलीलाबाद
	136- नाथनगर

नाम जिला

पंचायत उद्योग का नाम

खनऊ मण्डल

31- खीरी

137- गोला

138- निघासन

139- उपकेन्द्र लखीमपुर

32- हरदोई

140- हरदोई सदर

141- हरियावां

जाबाद मण्डल

34- बहराइच

142- मिहिपुरवा

143- जखल

144- फखरपुर

145- बंशपुरवा

146- गुलरिहा गाजीपुर

147- सिरसिया

148- सिंहपुर

149- प्रयागपुर

150- गिलीला

151- हरिहरपररनिड

152- बलहा

153- तजवपुर

154- शिवपुर

35- बाराबंकी

155- रामनगर

156- सूरतगंज

मुमयं मण्डल

36- नैनीताल

157- हल्द्वानी

158- रामनगर

टीन के बक्से बखारी [ग्रेन विन्स] अन्य सामान बनाने वाले उद्योग

नाम जिला	पंचायत उद्योग का नाम
मेरठ मण्डल	
1- गाजियाबाद	1- बहादुरगढ़
	2- डासना
	3- दादरी
	4- धौलाना
	5- भोजपुर
	6- उखलारसी
	7- हापुड़
	8- भौवापुर
	9- बिसरख
	10- लोनी
2- बुलन्द शहर	11- खुर्जा
	12- बिलसुरी
	13- नयागाँव
	14- पपरमियाँ
	15- दनकौर
	16- दानपुर
	17- गुलावटी
	18- लखावटी (सराय छबीला)
3- मेरठ	19- खरखौध
	20- बिनौली
	21- रजपुरा
	22- हस्तिनापुर
	23- सरधना

नाम जिला

पंचायत उद्योग का नाम

- | | |
|---------------|--------------------|
| | 24- परीक्षतगढ़ |
| | 25- माछरा |
| | 26- मबाना |
| | 27- दौराला |
| | 28- बागपत |
| 4- मुजफ्फरनगर | 29- सरवट |
| | 30- तावली |
| | 31- थाना भवन |
| | 32- कैराना |
| | 33- चरथावल |
| | 34- बुढाना |
| | 35- एलम |
| | 36- शाहपुर |
| 5- सहारनपुर | 37- रामपुर मनिहारन |
| | 38- भायला |
| | 39- चौरादेव |
| | 40- मायापुररूपपुर |
| | 41- छुटमलपुर |
| 6- हरिद्वार | 42- लिब्बरहेडी |
| | 43- रुड़की |
| | 44- बलिया खेड़ी |
| | 45- मायापुर रूपपुर |
| भागरा मण्डल | 46- सारसौल |
| 7- अलीगढ़ | 47- छर्ी |
| | 48- गांवखेड़ा |
| | 49- जवां |
| | 50- साकरा |
| | 51- बंके |

नाम जिला	पंचायत उद्योग का नाम
	52- इगलास
	53- सिकन्दाराउ
	54- खैर
	55- टप्पल
	56- हरदुआगंज
	57- चन्डौस
	58- हाथरस
8- आगरा	59- जगनेर
	60- बाह
	61- बरौली अहीर
	62- फतेहाबाद
	63- खेरागढ़
	64- अछनेरा
	65- पिनाहट
	66- फतेहपुर सीकरी
	67- खंदौली
	68- विचपुरी
	69- अकौला
	70- सैयाँ
	71- शमसाबाद
	72- एतमादपुर
9- एटा	73- जैतपुरकलां
	74- बनगाँव
	75- पटियाली
	76- कासगंज
10- मैनपुरी	77- मारहरा
	78- सुल्तानगंज
	79- अरांव
	80- धिरीर
	81- बरनाहल

पंचायत उद्योग का नाम

- मथुरा
- 82- कुरावली
83- खैरागढ़
84- जागीर सगमाई
85- जसराना
86- बेवर
87- शिकोहाबाद
88- सिरसागंज
89- मैनपुरी देहात
90- औरंगाबाद
91- पीलीभीत सदर
92- फरह
93- कोसीकला
- पीलीभीत
- 94- बिलसन्डा
95- बीसलपुर
96- मरौरी
97- ललौरी खेड़ा
98- अमरिया
99- खलीलपुर
- बरेली
- 100- फरीदपुर
101- मारगंज
102- भुत्ता
103- भमौरा
104- बदायूं सदर
105- जगत
106- मिश्रीपुर
107- बण्डा
108- ददरौला
- बदायूं
- 109- मुरादाबाद
- मुरादाबाद

नाम जिला	पंचायत उद्योग का नाम
	110- बनियाखेड़ा
	111- दलपतपुर
	112- मौड़ी हजरतपुर
	113- गुलामपुर
	114- धनौरा
	115- जोया
17- रामपुर	116- खेमपुर
	117- धमौरा
	118- पटवाई
18- बिजनौर	119- नूरपुर
	120- कीरतपुर
	121- कोतवाली
इलाहाबाद मण्डल	
19- इलाहाबाद	122- मऊ आइमा
	123- चाका
	124- हंडिया
	125- जसरा
	126- फूलपुर
	127- शोभना
	128- कोड़िहार
20- फतेहपुर	129- पूरे गड़ेरिया (तेलियर गंज)
21- प्रतापगढ़	130- ऐरायां
	131- मोहनगंज
	132- पट्टी
	133- सांगीपुर
	134- कुण्डा
	135- लालगंज
	136- अन्तू
कानपुर मण्डल	
22- कानपुर	137- चौबेपुर

नाम जिला	पंचायत उद्योग का नाम
	138- सारसौल
	139- शिक्षक
	140- पतारा
	141- विधनु
	142- घाटमपुर
	143- अकबर पुर
	144- संदलपुर
23- इटावा	145- जसवन्त नगर
	146- दिबियापुर
	147- भरथना
	148- औरैय्या
	149- सराय बाबरपुर
	150- सरसई नावर
	151- विधुना
	152- अछल्दा
	153- चकर नगर
	154- बकेवर
	155- ऐशवाकटरा
24- फर्रुखाबाद	156- सौरिख
	157- जलालाबाद
	158- भोलेपुर
	159- शमशाबाद
	160- छिबरामऊ
	161- राजेपुर
	162- कायमगंज
	163- कन्नोज
	164- नवाबगंज
25- जालौन	165- जालौन सदर

नाम जिला	पंचायत उद्योग का नाम
	166- कदोरा
	167- एट
	168- नदी गाँव
	169- रामपुरा
	170- कोंच
	171- कालपी
	172- कुठौद
26- झांसी	173- चिरगाँव
	174- मोठ
	175- गुरसराय
	176- बगरा
	177- मऊरानीपुर
	178- समथर
	179- बड़ागाँव
	180- बामौर
27- बाँदा	181- बाँदा सदर
	182- मानिकपुर
	183- मऊ
28- ललितपुर	184- बिरघा
	185- मेहरौनी
	186- खांदी
	187- बानपुर
	188- मड़ावरा
29- हमीरपुर	189- महोबा
	190- कुशारा
	191- सुमेरपुर
	192- चरखारी
वाराणसी मण्डल	
30- गाजीपुर	193- विष्नों

नाम जिला	पंचायत उद्योग का नाम
31- जौनपुर	194- खेतासराय
	195- रामनगर
	196- मछलीशहर
	197- बक्शा
	198- मड़ियाहूनीयर
	199- डोभी
	200- सिकरारा
	201- बादशाहपुर
	202- मड़ियाहूं
	203- रामपुर
	204- बरसठी
	205- बदलापुर
	206- करन्जाकला
	207- केराकत
32- बलिया	208- नवानगर
	209- फेफना
	210- हनुमानगंज
	211- दुबहड़
	212- बांसडीह
33- मिर्जापुर	213- चुनार
	214- बरईपुर
	215- चोपन
34- वाराणसी	216- पिडरा
	217- नियमताबाद
	218- चंदौली
	219- चिरईगांव
	220- काशी विद्यापीठ
35- आजमगढ़	221- रानी की सराय

नाम जिला

36. गोरखपुर

222- महाराजगंज

223- मुहम्मदपुर

224- दोहरीघाट

225- जहानागंज

226- बांसगांव

227- सहजनवाँ

228- खजनी

229- बड़हलगांज

230- उरुवा

231- खोराबार

232- गोला

37. देवरिया

233- भलुअनी

234- देसई देवरिया

235- पथरदेवा

336- मुडेरवा

237- रामपुरकारखना

38. बस्ती

238- बस्ती सदर

लखनऊ मण्डल

39. उन्नाव

239- बिछिया

240- उन्नाव

241- सि० सरौसी

40. खीरी

242- गोला

243- मोहम्मदी

244- लखीमपुर

41. रामबरेली

245- महाराजगंज

246- सिंहपुर

247- बहादुरपुर

248- लालगंज

42. लखनऊ

249- बक्कास

नाम जिला

पंचायत उद्योग का नाम

43. सीतापुर

250- सरोजनी नगर

251- काकोरी

252- मलिहाबाद

253- खैराबाद

254- महमूदाबाद

44. हरदोई

255- हरदोई सदर

256- संडीला

257- सुरसा

258- कौथवाँ

259- हरियावाँ

260- कछौना

261- विलग्राम

जाबाद मण्डल

45. गोण्डा

262- इटियाथोक

263- हल्दरमऊ

264- रुपयडिहि

265- बलरामपुर

266- दर्शननगर

267- कटहैरी

268- जलालपुर

269- सोहवाल

270- कुमारगंज

271- बसखरी

272- रामनगर

273- जहांगीरगंज

274- भीटी

275- टाण्डा

276- मायाबाजार

277- अरुबरपुर

नाम जिला	पंचायत उद्योग का नाम
	278- मिलकीपुर
47- बहराइच	279- विशेषसरगंज
	280- वंशपुरवा
48- बाराबंकी	281- हैदरगढ़
	282- बंकी
	283- हरख
49- सुल्तानपुर	284- कटरा लालगंज
	285- दोस्तपुर
	286- शिवपुर
	287- कूड़ेभार
गढ़वाल मण्डल	
50- टिहरी गढ़वाल	288- जाखणीधार
	289- तपोवन
51- पौड़ीगढ़वाल	290- दुगड्डा
	291- पौड़ी
	292- सतपुली
52- देहरादून	293- डैसवाला
53- उत्तरकाशी	294- एनफील्ड
	295- डुण्डा
कुमायूं मण्डल	
54- अल्मोड़ा	296- बागेश्वर
	297- द्वाराहाट
	298- चौखटिया
55- नैनीताल	299- बाजपुर चकरपुर
56- पिथौरागढ़	300- विण
57- चमोली	301- गैरसेण

सीमेन्ट से निर्मित होने वाले सामान

(नांद, गमले, शौचालय सेट, ह्यूम पाइप आदि)

(नाम जिला

पंचायत उद्योग का नाम

ण्डल

1- गाजियाबाद

1- बहादुरगढ़

2- डासना

3- बिसरख

4- उखलारसी

5- दादरी

2- बुलन्दशहर

6- नयागाँव

7- विलसूरी

3- मेरठ

8- हस्तिनापुर

9- बड़ौत

10- रजपुरा

11- दौराला

4- मुजफ्फर नगर

12- एलम

13- कैराना

14- चरथावल

15- शाहपुर

16- सरवट

17- तावली

5- सहारनपुर

18- भायला

19- रामपुर मनिहारन

20- मायापुर रूपपूर

21- छुटमुलपुर

22- बलिया खेड़ी

23- चौरादेव

6- हरिद्वार

24- रुड़की

नाम जिला	पंचायत उद्योग का नाम
आगरा मण्डल	
7- अलीगढ़	25- सारसौल सूतमिल
	26- छर्चा
	27- सासनी
8- आगरा	28- बरौली अहीर (आगरा)
	29- खंदोली
	30- सैया
9- एटा	31- बनगांव
	32- सिद्धपुरा
	33- कासगंज
	34- जैथरा
	35- प्रभापुरा
	36- अमांपुर
	37- सहावर
10- मथुरा	38- औरंगाबाद
11- मैनपुरी	39- सिरसागज
	40- मैनपुरी देहात
	41- करहल
12- पीली भीत	42- पीलीभीत सदर
	43- ललौरीखेड़ा
	44- पूरनपुर
	45- मरौरी
	46- बिलसंडा
	47- विसलपुर
13- बरेली	48- मीरगंज
	49- कांठ
14- बदायूं	50- ददरोल

नाम जिला

पंचायत उद्योग का नाम

शाहजहांपुर	51-	बदायूं सदर
	52-	विसौली
	53-	इस्लामनगर
	54-	सहसवान
	55-	खुटार
	56-	पुवायाँ
	57-	तिलहर
	58-	वण्डा
	69-	कांठ
	60-	ददरील
	61-	सिधौली
मुंडल	62-	अमरोहा
	63-	सरकड़ा
	64-	रावली
	65-	किरतपुर
	66-	नूरपुर
	67-	सारसौल
कानपुर	68-	चौबेपुर
	69-	घाटमपुर
	70-	अकबरपुर
	71-	विधनू
	72-	सौरिख
	73-	छिबरामऊ
	74-	भोलेपुर
फर्रुखाबाद	75-	शमशाबाद
	76-	नीवकरोरी-5
	77-	राजेपुर

नाम जिला	पंचायत उद्योग का नाम
	78- नवाबगंज
	79- कन्नौज
	80- कायमगंज
	81- रजीपुर
	82- सराय प्रयाग
	83- सौरिख
21- इटावा	84- इटावा सदर
	85- अछल्दा
	86- दिवियापुर
इलाहाबाद मण्डल	
22- इलाहाबाद	87- फूलपुर
	88- हनुमानगंज
	89- शोभना
	90- पूरेगड़ेरिया (तेलियारगंज)
	91- पूरामुफ्ती
23- फतेहपुर	92- करछना
	93- एराया
	94- पौली
	95- तेलियानी
24- प्रतापगढ़	96- गाजिपुर
	97- अन्तू
	98- लालगंज
	99- साँगीपुर
झाँसी मण्डल	100- पट्टी
25- झाँसी	101- बबीना
	102- गुरसंराय
	103- बगरा
	104- चिरगाँव
	105- मऊराजीपुर

नाम जिला	पंचायत उद्योग का नाम	
26- बाँदा	106- बामौर	
	107- मोठ	
	108- वडागाँव	
	109- बाँदा सदर	
	110- महूआ	
	111- जरैनी	
	112- कबी	
	113- मानिकपुर	
	114- मऊ	
	27- जालौन	115- कालपी
116- कुठौन्द		
117- कदौरा		
118- जालौन		
119- एटा		
120- चरखारी		
28- हमीरपुर	121- गोहाँड़	
	122- विरधा	
29- ललितपुर		
सी मण्डल		
30- गाजीपुर	123- कासिमाबाद	
	124- गाजिपुर	
	125- घरवाँ	
	126- करण्डा	
	127- सैदपुर	
	128- विकापुर	
	129- सादात	
	130- जमानिया	
	131- भदौर	
	132- देवकली	
	133- रतनपुर	
	134- चुनार	
	31- बलिया	
	32- मिर्जापुर	

नाम जिला	पंचायत उद्योग का नाम
33- जौनपुर	135- मछलीशहर
	136- सिकरारा
34- वाराणसी	137- काशी बिद्यापीठ
	138- पिन्डूरा
	139- ज्ञानपुर
	140- नियमताबाद
	141- धनापुर
	142- सकलडीह
	143- अराजी लाइन
	144- औराई
	145- सुरियांवा
	146- शाहवगंज
	147- चोलापुर
गोरखपुर मण्डल	
35- आजमगंढ़	148- फूलपुर
	149- रानी की सराय
36- गोरखपुर	150- लालगंज
	151- सहजनवां
	152- खोरावार
	153- खजनी
	154- बांसगांव
	155- कम्पियरगंज
	156- रामपुर कारखाना
37- देवरिया	157- कप्तानगंज
	158- हाटा
	159- सलेमपुर
	160- सुकरीली
	161- बनकटा
	162- अलुअनी

नाम जिला	पंचायत उद्योग का नाम
----------	----------------------

38- बस्ती

163- बस्ती सदर

164- हरैया

165- रुधौली

166- वभनान

167- मेंहदाल

39- सिद्धार्थ नगर

168- मुडिला

169- बर्डपुर

40- महाराजगंज

170- महाराजगंज

171- पनियारा

172- सिसवां

173- फरेन्दा

174- लक्ष्मोपुर

175- नौतनवा

41- मऊ

176- मुहम्मदाबाद

177- रतनपूरा

178- परदहा

179- कोपामंज

180- घोसी

181- बडरांव

मऊ मण्डल

42- उन्नाव

182- विछिया

183- हसनगंज

184- सफीपुर

185- औरास

43- रायबरेली

186- नसीराबाद

187- लालगंज

44- सीतापुर

188- महौली

189- खैराबाद

190- सिधौली

नाम	पंचायत उद्योग का नाम
	191- महमूदाबाद
	192- दोहटा
	193- विसवां
	194- मिश्रिख
39- हरदोई	195- संडीला
	196- टोडरपुर
40- लखनऊ	197- मोहनलालगंज
	198- सरोजनीनगर
	199- काकोरी
	200- चिनहट
	201- गुड़म्बा
	202- चक्कारा
41- खीरी	203- लखीमपुर
	204- गोला
	205- निघासन
फैजाबाद मण्डल	
42- फैजाबाद	206- अकबरपुर
	207- टांडा-2
	208- मिल्कीपुर
43- गोण्डा	209- डविकापुर
	210- रेहराबाजार
	211- तुलसीपुर
	212- वजीरगज
44- सुल्तानपुर	213- मनकापुर
	214- कूड़ेभार
	215- शिवपुर
45- बहराइच	216- दोस्तपुर
	217- जरवल
	218- गिलौला

नाम जिला	पंचायत उद्योग का नाम
	219- कैसरगंज
	220- विश्वेश्वरगंज
	221- पखरपुर
	222- बहराइच सदर
46- बाराबंकी	223- मसौली
	224- बंकी
	225- हैदरगढ़
47- प्रतापगढ़	226- बाबूगंज, कुण्डा
	227- रामपुर खास
	228- मोहनगंज
ल मंडल	
48- चमोली	229- गोचर
	230- नारायण बगड़
	231- उर्गम
	232- कमसाल
	233- पीपलकोटि
	234- नारायणबगड़
49- पी० गढ़वाल	235- दुगडग
	236- सतपुली
50- टिहरी गढ़वाल	237- जाखड़ीधार
	238- तपोवन
51- देहरादून	239- इनफील्डग्रान्ट
क मंडल	
52- अल्मोड़ा	240- भिकियासैंड
	241- चौखुटिया
	242- द्वाराहाट
	243- बागेश्वर
53- नैनीताल	244- लोहरियासाल
	245- रामनगर
54- पिथौरागढ़	246- विण

प्रिंटिंग प्रेस द्वारा छपाई कार्य करने वाले उद्योग

नाम जिला	पंचायत उद्योग का नाम
मेरठ मण्डल	
1-गाजियाबाद	1-बहादुरगढ़
2-बुलन्दशहर	2-भोजपुर
3-मेरठ	3-नयागाँव
4-सहारनपुर	4-केन्द्रीय प्रिंटिंग प्रेस, मेरठ
	5-भायला
बरेली मण्डल	
5-बदायूं	6-पंचायत उद्योग प्रिंटिंग प्रेस बदायूं
6-बरेली	7-बहैड़ी
7-पीलीभीत	8-पीलीभीत
आगरा मण्डल	
8-आगरा	9-बरोली अहीर
9-फिरोजाबाद	10-केन्द्रीय प्रिंटिंग प्रेस फिरोजाबाद
10-एटा	11-बनगांव
11-अलीगढ़	12-सासनी
मुरादाबाद मण्डल	
12-बिजनौर	13-किरतपुर
13-मुरादाबाद	14-जिला पंचायत उद्योग, मुरादाबाद
14-रामपुर	15-रामपुर
झांसी मण्डल	
15-बाँदा	16-बाँदा
16-झांसी	17-बड़गांव
17-हमीरपुर	18-सुमेरपुर
18-जालौन	19-उरई
19-ललितपुर	20-केन्द्रीय पंचायत उद्योग प्रेस ललित

नाम जिला	पंचायत उद्योग का नाम
वाराणसी मण्डल	
20-वाराणसी	21-जिला पंचायत उद्योग, वाराणसी
21-गांजीपुर	22-जिला पंचायत उद्योग प्रेस गाजीपुर
22-जौनपुर	23-मुफ्तीगंज
23-बलिया	24-हनुमानगंज
इलाहाबाद मण्डल	
24-इलाहाबाद	25-पूरेगड़रिया
25-प्रतापगढ़	26-जिला पंचायत उद्योग, प्रतापगढ़
26-फतेहपुर	27-तेलियानी
गोरखपुर मण्डल	
27-गोरखपुर	28-केन्द्रीय प्रिंटिंग प्रेस गोरखपुर
28-आजमगढ़	29-आजमगढ़
29-देवरिया	30-हाटा ब्रांच देवरिया
30-बस्ती	31-बस्ती सदर
31-महाराजगंज	32-जिला पंचायत उद्योग महाराजगंज
लखनऊ मण्डल	
32-हरदोई	33-सुरसा कन्दई पुरवा
33-लखनऊ	34-सरोजनी नगर
34-रायबरेली	35-पंचायत प्रिंटिंग प्रेस रायबरेली
35-सीतापुर	36-पंचायत प्रिंटिंग प्रेस सीतापुर
36-लखीमपुर खीरी	37-केन्द्रीय प्रिंटिंग प्रेस लखीमपुर
37-उन्नाव	38-जिला पंचायत उद्योग उन्नाव
कानपुर मण्डल	
38-कानपुर	39-कानपुर
39-इटावा	40-केन्द्रीय पंचायत उद्योग प्रेस इटावा
40-फर्रुखाबाद	41-भोलेपुर

नाम जिला	पंचायत उद्योग का नाम
----------	----------------------

कुमायूं मण्डल

41-अल्मोड़ा

42-ताड़ी खेत

फैजाबाद मण्डल

42-फैजाबाद

43-केन्द्रीय पंचायत उद्योग प्रिटिंग प्रेस फौज मण्डल

43-गोण्डा

44-झंझरी

44-बहराइच

45-चित्तौरा

45-बाराबंकी

56-बंकी

15-मुल्तानपुर

16-विशेषगंज

अभ्यास पुस्तिका निर्माण करने वाले पंचायत उद्योग

नाम जिला	पंचायत उद्योग का नाम
----------	----------------------

मेरठ मण्डल

1-गाजियाबाद

1-भोजपुरा

2-मेरठ

2-रजपुरा

3-बरेली

3-बहेड़ी

4-देवरिया

4-देवरिया सदर

स्टेनशरी (रूपपत्र) का निर्माण करने वाले उद्योग

नाम जिला

पंचायत उद्योग का नाम

मेरठ मण्डल

- 1-मेरठ
- 2-गाजियाबाद
- 3-सहारनपुर
- 4-बुलन्दशहर
- 5-हरिद्वार

- 1- रजपुरा
- 2-भोजपुर
- 3-बहादुरगढ़
- 4-रामपुर मनिहारन
- 5-नयागाँव
- 6-रुड़की
- 7-लिब्वरहेड़ी

आगरा मण्डल

- 1-अलीगढ़
- 2-एटा
- 3-फिशोजाबाद
- 4-आगरा

- 8-सूतमील
- 9-एटा
- 10-टूण्डला
- 11-बरोली अहीर

बरेली मण्डल

- 5-बरेली
- 6-पीलीभीत

- 12-नवाबगंज
- 13-खलीलपुर
- 14-भोजीपुरा
- 15-भमोरा
- 16-बहेड़ी
- 17-पीलीभीत सदर

मुरादाबाद मण्डल

- 7-मुरादाबाद
- 8-विजनौर

- 18-जिला पंचायत उद्योग मुरादाबाद
- 19-किरतपुर

झांसी मण्डल

- 9-झांसी
- 10-बांदा

- 20-चिरगाँव
- 21-बांदा

नाम जिला

वाराणसी मण्डल

11-बलिया

12-वाराणसी

13-गाजीपुर

14-जौनपुर

गोरखपुर मण्डल

15-देवरिया

16-आजमगढ़

17-गोरखपुर

18-बस्ती

19-महाराजगंज

20-मऊ

लखनऊ मण्डल

21-खीरी

22-हरदोई

23-लखनऊ

24-सीतापुर

25-रायबरेली

फैजाबाद मण्डल

26-फैजाबाद

22-हनुमानगंज

23-बांसडीह

24-फेफना

25-जिला पंचायत उद्योग वाराणसी

26-ज्ञानपुर

27-बीकापुर गाजीपुर

28-मुफ्तीगंज

29-हाटा

30-बैतालपुर

31-अजमतगढ़

32-बांसगांव

33-खोराबार

34-सहजनवां

35-प०उ० प्रेस बस्ती

36-जि०प०उ० महाराजगंज

37-जि०प०उ० मऊ

38- खीरी सदर

39- सुरसा

40- सरोजीनगर

41-खैराबाद

42-सिधौली

43- सतांव

44- जि० प० उ० फैजाबाद

नाम जिला	पंचायत द्योग का नाम
27-सुल्लतानपुर	45- विशेश्वरगंज 46- शिवपुर
कुमायूं मण्डल	
28-अल्मोड़ा	47- ताड़ीखेत
गढ़वाल मण्डल	
29-देहरादून	48- डैसवाला 49- एन्फील्डग्रान्ट
30-उत्तरकाशी	50- डुण्डा 51- पुरोला 52- नौगांव 53- भटवाड़ी 54- भोरी 55- चिन्यालीसौड़
इलाहाबाद मण्डल	
31-प्रतापगढ़	56- जि० पं० उ० प्रतापगढ़
32-इलाहाबाद	57- पूरे गढ़ेरिया

स्टेशनरी (रबर, पेन्सिल, पटरी, मानचित्र, इस्तर
रोलबोर्ड, चाकडिब्बा, स्लेटबत्ती)
विक्रय करने वाले उद्योग

नाम जिला	पंचायत उद्योग का नाम
मेरठ मण्डल	
1- गाजियाबाद	1- भोजपुर
2- मेरठ	2- पंचायत उद्योग रजपुरा
आगरा मण्डल	
1- फिरोजाबाद	1- टूण्डला
दरी, फर्श, कालीन निर्माण करने वाले उद्योग	

नाम जिला	पंचायत उद्योग का नाम
मेरठ मण्डल	
1- गाजियाबाद	1- बहादुरगढ़
	2- डासना
	3- उखलाशसी
आगरा मण्डल	
2- मैनपुरी	4- करहल
3- एटा	5- सराय अगहत
कानपुर मण्डल	
4- इटावा	6- इटावा सदर
5- फर्रुखाबाद	7- सजीपुर
झाँसी मण्डल	
6- झाँसी	8- बड़ागांव
गोरखपुर मण्डल	
7- देवरिया	9- बैतालपुर
फैजाबाद मण्डल	
8- बहराइच	10- सिंहपुर
बरेली मण्डल	
9- बदायूं	11- जगत
10- बरेली	12- खलीलपुर
	13- मीरगंज
11- शाहजहांपुर	14- पुवार्यां

बान (मूँज) निर्माण करने वाले उद्योग

नाम जिला

पंचायत उद्योग का नाम

मेरठ मण्डल

1- बुलन्दशहर

1- भवन बहादुर नगर

आगरा मण्डल

2- एटा

फैजाबाद मण्डल

3- बहराइच

कानपुर मण्डल

4- फर्रुखाबाद

2- तादेमऊ

इलाहाबाद मण्डल

5- इलाहाबाद

नाव बनाने का कार्य करने वाले पंचायत उद्योग

नाम जिला

पंचायत उद्योग का नाम

गोरखपुर मण्डल

1- देवरिया

1- रुद्रपुर

2- बस्ती

2- विक्रम जीत

3- चौरी सिकन्दर पुर

फैजाबाद मण्डल

3- बहराइच

4- जरवल

5- भिनगा

हैन्डलूम कपड़ा बनाने वाले पंचायत उद्योग

नाम जिला	पंचायत उद्योग का नाम
मेरठ मण्डल	
1- गाजियाबाद	1- बहादुरगढ़
	2- डासना
	3- उखलारसी
आगरा मण्डल	
2- मैरपुरी	4- करहल
3- एटा	5- गंज डुडवारा
बरेली मण्डल	
4- पीलीभीत	6- पीलीभीत सदर
झांसी मण्डल	
5- झांसी	7- बड़ागांव
कानपुर मण्डल	
6- फर्रुखाबाद	8- रजीपुर

बीड़ी बनाने वाले पंचायत उद्योग

जिला	पंचायत उद्योग का नाम
इलाहाबाद मण्डल	
1- फर्रुखाबाद	
वाराणसी मण्डल	
2- वाराणसी	2- नौगढ़
गोरखपुर मण्डल	
3- बस्ती	3- बहादुर पुर

चमड़े के सामान बनाने वाले उद्योग

जिला	पंचायत उद्योग का नाम
लखनऊ	1-हनुमानगंज
गोरखपुर	2-बड़ागांव
बरेilly	3-गौरी बाजार

साबुन बनाने वाले पंचायत उद्योग

जिला	पंचायत उद्योग का नाम
गोरखपुर	1-विसरख
गोरखपुर	2-भदोही

कम्बल बनाने वाले पंचायत उद्योग

नाम जिला	पंचायत उद्योग का नाम
मेरठ मण्डल	
1-गाजियाबाद	1-बहादुरगढ़
गोरखपुर मण्डल	
2-मऊ	2-मधुबन
3-देवरिया	3-लार (मेहरौना)
4-सिद्धार्थ नगर	4-वडंपुर

मोम्बत्ती बनाने वाले पंचायत उद्योग

नाम जिला	पंचायत उद्योग का नाम
मेरठ मण्डल	
1-मेरठ	1-रजपुरा
गोरखपुर मण्डल	
2-देवरिया	2-भटनी

रिंगाल (केन) व बांस के सामान निर्मित करने वाले पंच उद्योग

नाम जिला

पंचायत उद्योग का नाम

गढ़वाल मण्डल

1- चमोली

1- थराली

2- पाखी

3- मक्कू उसाड़ा

4- गुडममसोली

5- देवाल

6- दोगड़ी काण्डई

गोरखपुर मण्डल

2- देवरिया

6- खड्डा

रिक्शा एस्मबलिंग का कार्य करने वाले पंचायत उद्योग

नाम जिला

पंचायत उद्योग का नाम

वाराणसी मण्डल

1- वाराणसी

1- चौबेपुर (चोलापुर)

2- नियमताबाद

लखनऊ मण्डल

2- हरदोई

3- हरदोई सदर

4- हरियावां

करने वाले उद्योग

नाम जिला	पंचायत उद्योग का नाम
----------	----------------------

मेरठ मण्डल

1- गाजियाबाद

1- भोजपुर

2- उखलारसी

3- दादरी

दाल, दलिया, आटा पिसाई कार्य करने वाले

पंचायत उद्योग

नाम जिला	पंचायत उद्योग का नाम
----------	----------------------

लखनऊ मण्डल

1-खीरी

1-धौरहरा

2-रमियाबेहड़

फंजाबाद मण्डल

2-बहराइच

3-जरवल

पत्थर से निर्मित होने वाले सामानों तथा पठाले (स्लेट) एवं टिन स्लेट के उत्पादक उद्योग

नाम जिला	पंचायत उद्योग का नाम
मेरठ मण्डल	
1-गाजियाबाद	1-भोजपुर
इलाहाबाद मण्डल	
2-इलाहाबाद	2-मांडा
वाराणसी मण्डल	
3-मिर्जापुर	3-देवहट
	4-पडरी
	5-लालगंज
गढ़वाल मण्डल	
4-चमोली	6-धूनी
	7-पाखी
5-पौड़ी गढ़वाल	8-पैडुल

लकड़ी (काष्ठ) के खिलौनों का निर्माण करने वाले उद्योग

नाम जिला	पंचायत उद्योग का नाम
वाराणसी मण्डल	
1-मिर्जापुर	1-कछुआ बाजार
	2-म्योरपुर
मोरखपुर मण्डल	
2-देवरिया	3-पडरीना
	4-खड्डा

कुएं के निवाड़ बनाने वाले उद्योग

नाम जिला पंचायत उद्योग का नाम

बरेली मण्डल

1-शाहजहाँपुर

1-खुदागंज

2-ददरोल

3-बण्डा (नेहचक)

4-निगोही

5-पुवायां

6-जलालाबाद

7-खुटार

8-कलान

वाराणसी मण्डल

2-बलिया

9-बेलहरी

गोरखपुर मण्डल

3-देवस्थिया

10-फाजिलनगर

लकड़ी का कोयला बनाने वाले पंचायत उद्योग

नाम जिला

पंचायत उद्योग का नाम

गढ़वाल मण्डल

1-चमोली

1-गैरसेण

मूम रहित चूल्हे निर्मित करने वाले पं० उद्योग

नाम जिला

पंचायत उद्योग का नाम

इबाल मण्डल

1-उत्तरकाशी

1-चिन्याली सौण

2-मौरी

तिलहनों से तेल तैयार करने वाले

नाम जिला

पंचायत उद्योग का नाम

फैजाबाद मण्डल

1-बहराइच

1-जरवल

गइवर ग्लास द्वारा सामान निर्मित करने वाले उद्योग

नाम जिला

पंचायत उद्योग का नाम

फैजाबाद मण्डल

1-फैजाबाद

1-अकबरपुर

धान से चावल निकालने का कार्य करने वाले पं० उद्योग

नाम जिला

पंचायत उद्योग का नाम

वाराणसी मण्डल

1-बलिया

1-चिलकहर

गुमरी बनाने वाले पंचायत उद्योग

नाम जिला पंचायत उद्योग का नाम

वाराणसी मण्डल

1-बलिया

1-सीयर

2-बुरूआरबाशी

3-नवानगर

पौलीथीन बैग बनाने का कार्य करने वाले पं० उ०

नाम जिला

पंचायत उद्योग का नाम

मेरठ मण्डल

1-गाजियाबाद

1-हापुड़

हड्डी/मोती की मालाएं बनाने वाले पं० उ०

नाम जिला

पंचायत उद्योग का नाम

मेरठ मण्डल

1-गाजियाबाद

1-लोनी

कम्बल एवं टाट बोरी निर्माण करने वाले पं० उ०

नाम जिला

पंचायत उद्योग का नाम

मेरठ मण्डल

1-गाजियाबाद

1-बहादुरगढ़

2-हापुड़

डीजल इंजन का क्रय-विक्रय करने वाले पं० उद्योग

नाम जिला

पंचायत उद्योग का नाम

मेरठ मण्डल

1-सहारनपुर

1-चौरादेव

फपड़े पर रंगाई एवं छपाई कार्य करने वाले पं० उद्योग

नाम जिला

पंचायत उद्योग का नाम

कुमायूं मण्डल

1-नैनीताल

1-जसपुर खुर्द
2-काशीपुर

हथकरघा निर्माण करने वाले पंचायत उद्योग

नाम जिला

पंचायत उद्योग का नाम

गोरखपुर मण्डल

1-आजमगढ़

1-सठियाँव

शासनादेश एवं उद्योगों की उपलब्धियां

महत्वपूर्ण-शासनादेश

संख्या : 5038ग/33-371-74

प्रेषक,

महमूद बट्ट
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 19 जुलाई, 1976 ई० ।

विषय: पंचायत उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं का समस्त सरकारी विभागों एवं पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्रय के लिए टेण्डर या कोटेशन मगाने के प्रतिबन्ध से मुक्ति ।

पंचायती राज
अनुभाग-3

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास के उद्देश्य से शासन ने ग्राम पंचायतों में "पंचायत उद्योगों" की स्थापना कई वर्ष हुए की है। इनकी सफलता से आश्वासित होकर प्रदेश में तीव्र गति से पंचायत उद्योगों के विकास में शासन प्रयत्नशील है। अब तक लगभग 715 पंचायत उद्योग स्थापित किये जा चुके हैं, जिनके द्वारा कृषि यंत्र, सीमेंट के सामान, लोहे तथा लकड़ी के फर्नीचर, ह्यूमपाइप, बाल्टी, रहट, श्रेशर, चीनी मिट्टी के बर्तन, लोहे और टीन की अल्मारियां, जूते, गमले, बक्से, पी०आर०ए०आई० टाइप शौचालय सेट, टाट पट्टी, वान रस्सी, श्याम पट्ट आदि विभिन्न प्रकार की आवश्यक एवं कार्यालय स्कूलों तथा सरकारी आवासों के लिए उपयोगी वस्तुएँ बनाई जा रही हैं। पंचायत उद्योगों के माध्यम से स्थानीय कुशल और अकुशल कारीगरों को रोजगार सुलभ होने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होती है। बेकारी की समस्या हल करने में तथा राज्य के आर्थिक ढाँचे को सवल बनाने के लिए ऐसे उद्योगों का विकास आवश्यक है। पंचम पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रत्येक खण्ड में एक-एक पंचायत उद्योग की स्थापना लक्ष्य है जिससे कि शीघ्र ही प्रदेश में लगभग 875 पंचायत उद्योग स्थापित हो जायेंगे।

2-पंचायत उद्योगों का सदैव यह प्रयास रहा है कि उनके द्वारा बनाई गई वस्तुएं उच्च कोटि की एवं टिकाऊ हो फिर भी इनका उत्पादन लघु उद्योगों के रूप में होने के कारण विभागीय खरीदारी के समय उनकी उपेक्षा हो जाती है क्योंकि उद्योग विभाग के रेट कन्ट्रैक्ट की अनुमोदित सूची में उनका नाम नहीं होता। इससे

उनकी स्थिति बड़ी दयनीय होती जा रही हैं। पंचायत उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के क्रय के लिए समय-समय पर शासन द्वारा आदेश प्रसारित किए गये हैं परन्तु अब तक जो उपलब्ध इस सम्बन्ध में हुई है वह बड़ी ही असंतोषजनक है। शासन के आदेश होने के उपरान्त भी जिला परिषदें, बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं अन्य राजकीय विभागों द्वारा पंचायत उद्योगों से पर्याप्त मात्रा में सामान क्रय नहीं किया गया है। यह स्थिति ठीक नहीं है। इससे इन पंचायत उद्योगों की आर्थिक स्थिति सुधरने के बजाय और बिगड़ती है।

3-इन उद्योगों को इस खेदजनक स्थिति से उबारने एवं उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से अब शासन ने यह निर्णय लिया है कि राज्य सरकार के समस्त विभाग तथा समस्त पंचायती राज संस्थामें अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ अनिवार्य रूप से प्रथमतः पंचायत उद्योगों से ही क्रय करें। इस सम्बन्ध में यह भी निश्चय किया गया है कि भविष्य में पंचायत उद्योगों द्वारा निर्मित माल की खरीदारी के लिए टेन्डर या कोटेशन आमंत्रित करना आवश्यक न होगा और इस सीमा तक स्टोर परचेज नियमों को शिथिल समझा जायेगा। यह आदेश केवल पंचायत उद्योगों के उन्हीं सामानों के क्रय के सम्बन्ध में लागू होंगे जिन्हें निदेशक, पंचायत राज, उत्तर प्रदेश लखनऊ सत्यापित करेंगे। निदेशक, पंचायत राज पृथक से समस्त इन्डेंटिंग आफिसर्स (Indenting Officers) को समय-समय पर सत्यापित पंचायत उद्योगों एवं उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की सूची भेजेंगे और खरीदारी केवल ऐसे ही पंचायत उद्योगों से की जायेगी।

4-आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ समस्त इन्डेंटिंग आफिसर्स, (Indenting Officers) को तदनुसार कृपया निर्देशित कर दें। वे अपनी आवश्यकताओं की सूचना पर्याप्त समय पूर्व ही सम्बन्धित उद्योगों को दे दिया करें जिससे कि इन वस्तुओं को पूर्ति उन्हें समयानुसार पंचायत उद्योगों द्वारा की जा सके।

5-यह आदेश उद्योग विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
महमद बट्ट
मुख्य सचिव

जे० ए० कल्याण कृष्णन
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

समस्त विभागाध्यक्ष, तथा प्रमुख
कार्यालयध्यक्ष, उत्तर प्रदेश

लखनऊ, दिनांक 30 मई, 1984

पंचायती राज
अनुभाग-3

विषय : प्रदेश में पंचायत उद्योगों के विकास तथा उनके द्वारा उत्पादित सामान के विक्रय की नई नीति ।

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि पंचायत उद्योगों के विकास एवं उनके सुदृढीकरण के लिए शासनादेश संख्या 5038/3-3-3371/74 दिनांक 19 जुलाई 1976 द्वारा यह आदेश जारी किये गये थे, कि राज्य सरकार के समस्त विभाग तथा समस्त पंचायती राज संस्थायें अपनी आवश्यकता की वस्तुएं अनिवार्य रूप से प्रथमतः पंचायत उद्योगों से ही क्रय करें। पंचायत उद्योगों से सामान क्रय करने के लिए टेण्डर तथा कोटेशन माँगने से भी छूट प्रदान कर दी गई थी। कुछ समय से यह अनुभव किया जा रहा है, कि उक्त शासनादेश का कुछ विभागों द्वारा पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण पंचायत उद्योगों का आशातीत विकास नहीं हो सका। अतः यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त शासनादेश का कड़ाई से पालन क्रिया जाये। पंचायत उद्योगों को और प्रोत्साहन देने तथा उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की "क्वालिटी" पर नियन्त्रण के लिए शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि :—

- (1) पंचायत उद्योगों का उद्योग विभाग द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योगों के रूप में पंजीकरण कर लिया जाये, लघु तथा कुटीर उद्योगों को शासन द्वारा अनुमन्य नये उद्योगों को विक्रीकर में छूट नियन्त्रित मूल्य पर कच्चे माल की सुविधा तथा ऋण आदि पंचायत उद्योगों को भी उपलब्ध कराया जाये।
- (2) पंचायत उद्योगों द्वारा उत्पादित सामान की "क्वालिटी" पर नियन्त्रण के लिए उद्योग विभाग के पास जिन उद्योगों पर क्वालिटी मार्क (Q) लगाने की व्यवस्था है, उसका लाभ पंचायत उद्योगों को भी उपलब्ध कराया जाये, ताकि पंचायत उद्योगों द्वारा उत्पादित सामान की विश्वसनीयता बढ़ सके।
- (3) शासन को यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि पंचायत उद्योगों द्वारा शिक्षा विभाग को बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राइमरी स्कूलों लिए टाट-पट्टी आदि की शतप्रतिशत आपूर्ति समय पर नहीं हो पा रही है। जिनके कारण प्राइमरी स्कूलों में छात्रों को बैठने की असुविधा हो रही है। अतः इस

सम्बन्ध में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि शिक्षा विभाग को अपनी आवश्यकता की 25% की आपूर्ति निजी उद्योगों से कराने की छूट होगी। शेष 75% की आपूर्ति वर्तमान व्यवस्था के अनुसार पंचायत उद्योग से ही कराई जायेगी। आपूर्ति हेतु पंचायत उद्योगों को 31 मई तक आपूर्ति का आदेश दे दिया जाया करे तथा यदि पंचायत उद्योग वित्तीय वर्ष के माह फरवरी के अन्त तक अपने कोटे की शत प्रतिशत आपूर्ति न कर सके तो अवशेष आपूर्ति भी शिक्षा विभाग निजी उद्योग से करा सकता है। निजी क्षेत्र में आपूर्ति उद्योग विभाग द्वारा हर अनुबन्ध के अनुसार करायी जायेगी। इस सीमा तक शासनादेश दिनांक 19 जुलाई, 1976 को संशोधित समझा जायेगा।

(4) यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश केवल पंचायत उद्योगों के उन्हीं सामानों को क्रय के सम्बन्ध में लागू होंगे जिन्हें निदेशक, पंचायत राज, उ० प्र० लखनऊ सत्यापित करेंगे। निदेशक पंचायत राज समस्त "इन्डेंटिंग आफिसर्स" को समय-समय पर सत्यापित पंचायत उद्योगों एवं उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की सूची भेजेंगे और खरीददारी केवल ऐसे पंचायत उद्योगों से की जायेगी। निदेशक पंचायत राज यह भी सुनिश्चित कर लें कि पंचायत उद्योग केवल अपने बनये हुए माल से ही आपूर्ति करें तथा किसी भी दशा में विचौलियों का काम न करें।

भवदीय,

जे० ए० कल्याण कृष्णन
कृषि उत्पादन आयुक्त

संख्या : 2282 (1) ग/33-3-14/1983-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- 1—समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2—समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3—समस्त अध्यक्ष जिला परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 4—समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश।
- 5—समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6—सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 7—उद्योग अनुभाग—(—) 4/शिक्षा अनुभाग—5/गोपन अनुभाग—1

शान्ता दे
राम निवास
अनुसचिव

उत्तर प्रदेश सरकार

शिक्षा (5) अनुभाग

संख्या-2182/15 (5)-80-187/80

दिनांक : लखनऊ : 8 मई, 1980

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूलों के लिये टाटपट्टी फर्नीचर तथा अन्य साज-सज्जा पर्याप्त मात्रा में क्रय की जाती है और इसके लिये शासन द्वारा अनुदान स्वीकृत किया जाता है। पंचायत उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये यह सामान जिला पंचायत उद्योगों से क्रय किये जाने के लिये शासन से निर्देश है और इस सामान के क्रय के लिये जिला स्तर पर एक क्रय समिति भी गठित है, जिसके अध्यक्ष जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं जिसके संयोजक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं। इस व्यवस्था के बावजूद भी शासन को एक ओर तो उक्त विद्यालयों में साज-सज्जा की कमी की शिकायत प्राप्त होती है और दूसरी ओर यह भी तथ्य सामने आया है कि उक्त कार्य हेतु स्वीकृत अनुदान का उपयोग नहीं होता है और पंचायत उद्योगों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय से क्रय आदेश नहीं दिये जाते हैं। पंचायत उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं के क्वालिटी में भी समय-समय पर अधिकारियों द्वारा शिकायत की गयी है। अतः परिषदीय विद्यालयों के लिये टाटपट्टी, फर्नीचर एवं अन्य साज-सज्जा के क्रय एवं वितरण पर नियन्त्रण रखने और सम्बद्ध समस्याओं पर विचार करने हेतु राज्यपाल महोदय ने एक समन्वय समिति गठित करने का निर्देश दिया है जिसके सदस्य निम्नलिखित होंगे :—

- (1) विशेष सचिव, शिक्षा विभाग
- (2) निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश
- (3) निदेशक, पंचायत राज विभाग, उत्तर प्रदेश
- (4) सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा मनोनित अधिकारी
- (5) उप सचिव, शिक्षा अनुभाग (5)

अध्यक्ष

सदस्य

सदस्य

सदस्य

संयोजक

बसन्त बल्लभ पाण्डे
उप सचिव

संख्या-2182(1)/15 (5)-80-187/80

- (1) विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, उ० प्र० शासन।
- (2) निदेशक, शिक्षा विभाग, उ० प्र०।
- (3) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ० प्र०।
- (4) सचिव, पंचायती राज विभाग, उ० प्र० शासन।
- (5) उप सचिव, शिक्षा अनुभाग (5), उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से
बसन्त बल्लभ पाण्डे
उप सचिव

प्रेषक

श्रीमती मंजुलिका गौतम
उपसचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक, स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लखनऊ दिनांक 21 दिसम्बर, 1976 ई०

नगर पालिका अनुभाग-5

विषय-पंचायत उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं का स्थानीय निकायों द्वारा क्रय :

महोदय,

पंचायत उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं का समस्त सरकारी विभागों एवं पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्रय तथा उनके क्रय के लिए टेण्डर या कोटेशन माँगने के प्रतिबन्ध से मुक्ति विषयक मुख्य सचिव के परिपत्र संख्या 5028-ग/33-3-371,-74, दिनांक 19 जुलाई, 1976 जो समस्त विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों को सम्बोधित है, की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे श्री मेवाराम, निदेशक, पंचायत राज विभाग के अर्धशासकीय पत्र संख्या 2-11-76 की प्रतिलिपि संलग्न करने एवं यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि कृपया शासकीय नीति को दृष्टिगत करते हुए प्रदेश के समस्त स्थानीय निकायों को इस सम्बन्ध में यथोचित निर्देश प्रसारित करने एवं प्रसारित निर्देशों की एक प्रतिलिपि सूचनार्थ शासन को भेजने का कष्ट करें।

भवदीया

मंजुलिका गौतम
उप सचिव

प्रतिलिपि-संलग्नक की प्रतिलिपि सहित प्रशासक, नगरमहापालिका, लखनऊ/कानपुर/इलाहाबाद/आगरा वाराणसी को सूचना एवं यथोचित कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

मंजुलिका गौतम
उप सचिव

प्रतिलिपि निदेशक, पंचायत राज, उ०प्र०, लखनऊ को उनके अर्धशासकीय पत्र के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से

मंजुलिका गौतम
उप सचिव

5038 (1) ग/33-371/74

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित :-

- समस्त मंडलों के आयुक्त ।
- समस्त जिला अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- समस्त अध्यक्ष, जिला परिषदें, उत्तर प्रदेश ।
- समस्त प्रधान ग्राम सभायें उत्तर प्रदेश ।
- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- समस्त प्रमुख क्षेत्र समितियां, उत्तर प्रदेश ।
- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- समस्त क्षेत्रीय उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।
- सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,
ह०/- राम चरण,
संयुक्त सचिव ।

प्रेषक,

विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ ।

2- अपर शिक्षा निदेशक,
अनौपचारिक शिक्षा निदेशालय
उत्तर प्रदेश ।

3- निदेशक,
प्रौढ़ शिक्षा, उत्तर प्रदेश,

4- शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

5- निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
उत्तर प्रदेश ।

शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 29 जून, 1991

विषय : पंचायत उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं का शैक्षिक संस्थाओं के प्रयोगार्थ क्रय किया जाना ।

महोदय,

पंचायत उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं का समस्त सरकारी विभागों एवं पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्रय तथा उनके क्रय के लिये टेण्डर या कोटेशन मांगने के प्रतिबन्ध से मुक्ति विषयक मुख्य सचिव के परिपत्र संख्या-6038-ग-33-3-371-74, दिनांक 19 जुलाई, 1976 जो समस्त विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों को सम्बोधित है, की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासकीय नीति को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं के प्रयोगार्थ पंचायत उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं का क्रय प्राथमिकता के आधार पर किया जाय । मुझे यह भी स्पष्ट करना है कि यदि पंचायत उद्योग अपेक्षित वस्तुओं की आपूर्ति करने में असमर्थता व्यक्त करते हैं तथा जो सामान पंचायत उद्योग द्वारा निर्मित नहीं होता है वह शासन के स्टोर पचेज रूल्स के अन्तर्गत अन्य स्रोतों से क्रय किया जाय ।

भवदीय,

ह०-बी० वेंकटाचलन

विशेष सचिव

पत्रांक : 2533(1) 115-5-91, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निदेशक, पंचायत राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 27 जून, 1991 के संदर्भ में सूचनायं प्रेषित ।

राम कृष्ण
आई.ए.एस.
मुख्य सचिव



पंचायतीराज/कृषि विभाग
उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊ

अद्वं० शा० एतांक 2/2608/91

दिनांक 3 जुलाई 1991

महोदय,

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित युवकों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होने हेतु पंचायत उद्योगों की स्थापना की गई है जिनके कार्यों का नियंत्रण पंचायत राज विभाग, मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (विकास)। जिला विकास अधिकारी एवं जिलाधिकारियों के मार्गदर्शन में करता है। इन पंचायत उद्योगों को उक्त उद्देश्य की पूर्ति और पंचायत उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये शासनादेश संख्या-5038ग/33-371/74 दिनांक 19 जुलाई, 1976 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि जिन वस्तुओं का उत्पादन यह पंचायत उद्योग कर रहे हैं। जनपद के समस्त विभाग इन वस्तुओं की पूर्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार इन्हीं पंचायत उद्योगों के माध्यम से कराये। इसी बिन्दु को शिक्षा विभाग द्वारा शासनादेश सं०-2533/15-5-91 दिनांक 29 जून, 1991 (प्रतिलिपि संलग्न) में पुनः दोहराया गया है। पंचायत उद्योगों का कार्य यद्यपि बिना लाभ-हानि के होता है किन्तु जो कुछ भी लाभ होता है वे अंशधारी गाँव सभाओं में अनुपातिक रूप से विकास के कार्यों हेतु वितरित किया जाता है।

आपसे अनुरोध है कि जनपद एवं मण्डलस्तर पर समस्त सरकारी एवं अद्वंसरकारी विभागों/संस्थाओं को निर्देश देने का कष्ट करें कि वे अपनी ऐसी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति पंचायत उद्योगों के माध्यम से कराये जिनका उत्पादन पंचायत उद्योग करते हैं। आपसे यह भी अनुरोध है कि अपने जिलाधिकारियों की मण्डलीय बैठकों में भी मण्डलस्तर पर पंचायत उद्योगों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी पंचायत राज विभाग के अन्य कार्यक्रमों के साथ करने का कष्ट करें जिससे पंचायत उद्योगों के उत्पादन, बिक्री एवं लाभ की प्रगति पर समुचित नियंत्रण हो सके।

भवनिष्ठ,
राम कृष्ण

समस्त मण्डलायुक्त (नाम से)
उत्तर प्रदेश

प्रेषक,

प्रभु दयाल श्रीवास,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायत राज,
उ० प्र०, लखनऊ ।

उत्तरांचल विकास अनुभाग-7

लखनऊ दिनांक 04 फरवरी, 1992

विषय - पंचायत उद्योगों के लिए कार्यशाला भवनों का निर्माण जिला योजना का कार्यान्वयन वर्ष (1991-92)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5/1821/91-5/43/91 दिनांक 31-8-91 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय, पर्वतीय क्षेत्र में पंचायत राज विभाग के अधीन पंचायती उद्योगों के लिए कार्यशाला भवनों के निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 1991-92 में रु० 1,80,000 (एक लाख अस्सी हजार रुपये) मात्र की धनराशि की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं। इस धनराशि को आवश्यकतानुसार पर्वतीय क्षेत्र के जनपदों को विभाजित करके शासन को सूचित करने का कष्ट करें।

2 - कार्यशाला भवनों के लिए भूमि स्वयं पंचायत उद्योगों द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी तथा पंचायत उद्योगों द्वारा अधिकतम एक लाख रुपये तक के निर्माण की लागत से कार्यशाला भवनों का निर्माण कराया जायेगा तथा निर्माण कार्य आगणन सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित कराकर उसपर मंडलायुक्त की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। कार्यशाला भवन निर्माण पर लागत मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु० 50,000 शासकीय अनुदान दिया जायेगा तथा शेष धनराशि पंचायत उद्योग अंशधारी गांव सभाओं द्वारा अपने संसाधनों से वहन की जायेगी।

3 - चूंकि प्रश्नगत व्यय अत्यावश्यक तथा अपरिहार्य है तथा आय-व्ययक में इस कार्यक्रम हेतु कोई प्राविधान उपलब्ध नहीं है, अतः राज्यपाल महोदय राज्य आकस्मिकता निधि से रु० 1,80,000 (एक लाख अस्सी हजार रु० मात्र की धनराशि अग्रिम आहरित करने की भी स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसकी प्रतिपूर्ति यथासंभव मांग से कर ली जायेगी।

4 - उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 1991-92 में प्रथमतः "8000-राज्य आकस्मिकता निधि" और अंततः अनुदान संख्या-47 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2441-पहाड़ी क्षेत्र-60 अन्य पहाड़ी क्षेत्र-आयोजन-54 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-पंचायती राज (-)पंचायती उद्योगों के लिये कार्यशाला भवनों का निर्माण-14-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,
प्रभु दयाल श्रीवास
संयुक्त सचिव ।

वित्त विभाग

संख्या : ई-4/सी० एफ०/277/दस-92

प्रतिलिपि एक अतिरिक्त प्रति सहित महालेखाकार (रिपोर्ट ब्रांच) उ०प्र० इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,
उमेश चन्द्र सक्सेना
अनुसचिव ।

संख्या : 4014(1)/25-7-2(13) 1/91, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित : -

1. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल ।
2. उप/संयुक्त विकास आयुक्त, कुमायूं मण्डल/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी गढ़वाल ।
3. समस्त जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी, पर्वतीय क्षेत्र ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/पर्वतीय विकास अनुभाग-10/टेक्निकल सेल/बजट अनुभाग-1/2
5. समस्त कोषाधिकारी, पर्वतीय क्षेत्र ।
6. उत्तरांचल विकास कम्प्यूटर सेल ।

आज्ञा से
प्रभू दयाल श्रीवास.
संयुक्त सचिव

प्रेषक,

निदेशक पंचायतराज,

उत्तर प्रदेश

सेवा में,

जिला पंचायतराज अधिकारी

नैनीताल/देहरादून ।

पत्र संख्या : 5/शा/479/92-5/30/91 लखनऊ : दिनांक : मार्च 20, 1992

विषय :- पंचायत उद्योगों के लिए कार्यशाला भवनों का निर्माण-जिला योजना का कार्यान्वयन वर्ष 1991-92

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या : 4014/28-7-2 (13)/1/91 दिनांक 4 फरवरी 1992 (प्रतिलिपि संलग्न) के अन्तर्गत पंचायत उद्योगों के कार्यशाला भवनों निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 1991-92 में रुपया 1,80,000/= (एक लाख अस्सी हजार रुपये) की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसे निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उपभोग करने हेतु आपके जनपद के सम्मुख अंकित धनराशि आपके निस्तारण पर स्वीकृति की जाती है ।

नाम जनपद	धनराशि रुपयों में
1- नैनीताल	90,000 (नब्बे हजार रुपया मात्र)
2- देहरादून	90,000 " "
योग-	1,80,000

उक्त व्यय को वित्तीय वर्ष 1991-92 में प्रथमतः 8,000-राज्य आकस्मिकता विधि और अन्ततः- अनुदान संख्या: 47 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2551-पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत-154 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम पंचायती राज (-) पंचायती उद्योगों के लिए कार्यशाला भवनों का निर्माण-14 सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता के नाम डाला जायेगा ।

उक्त आवंटन को व्यय नियंत्रक रजिस्टर में अंकित करालें तथा धनराशि का आहरण 31 मार्च 1992 तक अवश्य करलें ।

आहरित धनराशि के बाउचर संख्या एवं दिनांक. तार/रेडियोग्राम/विशेष पत्रवाहक से भेजें ।

उक्त धनराशि के उपभोग के संबन्ध में पृथक से निर्देश भेजे जा रहे हैं ।

संलग्न-उपर्युक्त ।

भवदीय,

एस० सी० रस्तोगी

निदेशक

पंचायत राज, उत्तर प्रदेश

संख्या : 5/27/479/(1)/92-तद्विनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी गढ़वाल/नैनीताल ।
2. उप/संयुक्त विकास आयुक्त गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल/पौड़ी गढ़वाल/नैनीताल ।
3. कोषाधिकारी नैनीताल/देहरादून ।
4. वित्त-ध्यय नियंत्रण अनुभाग-4/, उत्तरांचल विकास अनुभाग-10/टेक्निकल सेल बजट अनुभाग-1/2
5. जिलाधिकारी नैनीताल/देहरादून ।
6. मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत) गढ़वाल मण्डल/कुमायूँ मण्डल ।

ए० सी० रस्तोगी
निदेशक
पंचायतराज उत्तर प्रदेश

संख्या : 2201/तैंतीस-3-60पी/90

प्रेषक,

श्री श्याम रत्न रस्तोगी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

जिला पंचायत राज अधिकारी,
मेरठ/गाजियाबाद/बुलन्दशहर/एटा/फिरोजाबाद/
मुरादाबाद/इलाहाबाद/प्रतापगढ़/बांदा/मिर्जापुर/
जौनपुर/गाजीपुर/सोनभद्र/गोरखपुर/महाराजगंज/
सीतापुर/वहराइच ।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 9 अगस्त, 1991 ।

विषय : पंचायत उद्योगों के लिए कार्यशाला भवनों का निर्माण जिला योजना का कार्यान्वयन
(वर्ष 1991-92) ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर निदेशक पंचायत राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या 5/शा०/133/91-5/18/91, दिनांक 6 मई, 1991 में, 1991 में प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष, 1991-92 में पंचायत उद्योगों के लिए कार्यशाला भवनों के निर्माण की योजना के कार्यान्वयन हेतु संलग्नक में उल्लिखित विवरण के अनुसार संबन्धित जनपदों के सम्मुख अंकित धनराशि की सीमा तक कुल रु० 26,10,000/- (रुपये छब्बीस लाख दस हजार मात्र की धनराशि व्यय हेतु आपके निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं ।

2- उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि जिन-जिन पंचायत उद्योगों को यह धनराशि आवंटित की जाय वह सम्पूर्ण धनराशि भवन निर्माण के निमित्त ही उपयोग की जाये और भविष्य में उन्हें इस हेतु और कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी ।

3- कार्यशाला भवनों के लिए भूमि स्वयं पंचायत उद्योगों द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी तथा पंचायत उद्योगों द्वारा अधिकतम एक लाख रुपये तक के निर्माण की लागत से कार्यशाला भवनों का निर्माण कराया जायेगा तथा निर्माण कार्य का आगणन सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित करा कर उस पर संबंधित मंडलायुक्त की विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त की जायेगी । कार्यशाला भवन के निर्माण पर लागत मूल्य का 90 प्रतिशत बचवा अधिकतम रुपये 90,000/- शासकीय अनुदान दिया जायेगा तथा शेष 10 प्रतिशत धनराशि संबंधित पंचायत उद्योगों/अंशधारी गांव सभाओं द्वारा अपने संसाधनों से वहन की जायेगी ।

4- उक्त धनराशि का आहरण जिस कोषागार द्वारा जिस तिथि को किया जाये, उसकी सूचना अविलम्ब महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, निदेशक पंचायत राज, उ० प्र०, लखनऊ तथा शासन को भेजी जाये ।

5- इस धनराशि का उपभोग दिनांक 31 मार्च, 1992 तक अवश्य हो जाना चाहिए तथा धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाणपत्र महालेखाकार, उ० प्र०, इलाहाबाद, निदेशक, पंचायत राज, उ० प्र०, लखनऊ और शासन को उपलब्ध करा दिया जाये।

6- इस अनुदान पर वे ही नियम लागू होंगे, जो वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16 ए में दिए गये हैं तथा इससे संबंधित लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के विवेकानुसार की जा सकेगी।

7- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष, 1991-92 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखा शीर्षक "2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-आयोजनागत-101-पंचायती राज-000-अन्य व्यय-04-पंचायत उद्योगों के लिए कार्यशाला भवनों का निर्माण (जिला योजना)-19-लघु निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

8- ये आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या ई-2-1222/दस-91, दिनांक 5-8-91 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,
श्याम रत्न रस्तोगी
उप सचिव।

संख्या 222(1) 1/तीस-3-60 पो०/90 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ० प्र०, इलाहाबाद।
- 2- जिलाधिकारी, मेरठ/गाजियाबाद/बुलन्दशहर/एटा/फिरोजाबाद/मुरादाबाद/इलाहाबाद/प्रतापगढ़/बाँदा/मिर्जापुर/जौनपुर/सोनभद्र/गाजीपुर/गोरखपुर/महाराजगंज/सीतापुर/बहराइच।
- 3- मंडलायुक्त, मेरठ मंडल/आगरा मंडल/मुरादाबाद मंडल/इलाहाबाद मंडल/झाँसी मंडल/वारणसी मंडल/गोरखपुर मंडल/लखनऊ मंडल/फैजाबाद मंडल।
- 4- निदेशक, पंचायत राज, उ० प्र०, लखनऊ।
- 5- कोषाधिकारी, मेरठ/गाजियाबाद/बुलन्दशहर/एटा/फिरोजाबाद/मुरादाबाद/इलाहाबाद/प्रतापगढ़/बाँदा/मिर्जापुर/जौनपुर/सोनभद्र/गाजीपुर/गोरखपुर/महाराजगंज/सीतापुर/बहराइच।
- 6- मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 7- समस्त सम्बन्धित जिला विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास)/मुख्य विकास अधिकारी।
- 8- सचिव, हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग, उ० प्र०, शासन।
- 9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3/ग्राम्य विकास अनुभाग-3/हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग-3।

आज्ञा से,
श्याम रत्न रस्तोगी
उप सचिव

संलग्नक

पंचायत उद्योगों के लिए कार्यशाला भवनों का निर्माण जिला योजना वर्ष 1991-92

क्रमांक	नाम जनपद	सामान्य कोटि		स्पेशल कम्पोनेट प्लान के अन्तर्गत		कुल योग	
		वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7	8
1-मेरठ		90,000	1	—	—	90,000	1
2-गाजियाबाद		90,000	1	—	—	90,000	1
3-बुलन्दशहर		90,000	1	—	—	90,000	1
4-एटा		90,000	1	—	—	90,000	1
5-फिरोजाबाद		90,000	1	—	—	90,000	1
6-मुरादाबाद		90,000	1	—	—	90,000	1
7-इलाहाबाद		1,80,000	2	90,000	1	2,70,000	3
8-प्रतापगढ़		90,000	1	—	—	90,000	1
9-बांदा		90,000	1	—	—	90,000	1
10-मिर्जापुर		90,000	1	90,000	1	1,80,000	2
11-जौनपुर		90,000	1	90,000	1	1,80,000	2
12-गाजीपुर		1,80,000	2	—	—	1,80,000	2
13-सोनभद्र		1,80,000	2	—	—	1,80,000	2
14-गोरखपुर		1,80,000	2	90,000	1	2,70,000	3
15-महाराजगंज		1,80,000	2	90,000	1	2,70,000	3
16-सीतापुर		90,000	1	90,000	1	1,80,000	2
17-बहराइच		90,000	1	90,000	1	1,80,000	2
सम्पूर्ण योग		19,80,000	22	6,30,000	7	26,10,000	29

(अंकन रुपये छब्बीस लाख दस हजार मात्र)

श्याम रत्न रस्तोगी

उप सचिव

उ०प्र० शासन

पंचायती राज अनुभाग-3

प्रेषक,

संख्या-2722/33-3-60 पी०/91

बी० एम० सिंह श्रीनेत,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

जिला पंचायत राज अधिकारी,
एटा/फिरोजाबाद/पीलीभीत/बिजनौर/इलाहाबाद/
प्रतापगढ़/बाँदा/मिर्जापुर/जौनपुर/गाजीपुर/सोनभद्र:
गोरखपुर/मऊ/सीतापुर/बहराइच और सुल्तानपुर ।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 13 अगस्त, 1992

विषय :-पंचायत उद्योगों के लिए कार्यशाला भवनों का निर्माण जिज्ञा योजना का कार्यान्वयन वर्ष 1992-93

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर निदेशक, पंचायत राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या : 5/शा०/124/92/5/54/91 दिनांक 24-7-92 के साथ प्राप्त के साथ प्रस्ताव के आधार पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 1992-93 में पंचायत उद्योगों के लिए कार्यशाला भवनों के निर्माण की योजना के कार्यान्वयन हेतु संलग्नक में उल्लिखित विवरण के अनुसार सम्बन्धित जनपदों के सम्मुख अंकित धनराशि की सीमा तक कुल रुपये 23,40,000/- (रुपये तेईस लाख चालिस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि जिन-जिन पंचायत उद्योगों को यह धनराशि आवंटित की जाय वह सम्पूर्ण धनराशि भवन-निर्माण के निमित्त ही उपयोग की जाये और भविष्य में उन्हें इस हेतु और कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी ।

3- कार्यशाला भवनों के लिए भूमि स्वयं पंचायत उद्योगों द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी तथा पंचायत उद्योगों द्वारा अधिकतम एक लाख रुपये तक के निर्माण की लागत से कार्यशाला भवनों का निर्माण कराया जायेगा तथा निर्माण कार्य का आगणन सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित कराकर उस पर संबंधित मण्डलायुक्त की विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त की जायेगी । कार्यशाला भवन के निर्माण पर लागत मूल्य का 90% अथवा अधिकतम रुपये 90,000- (रुपये नब्बे हजार मात्र) शासकीय अनुदान दिया आयेगा तथा शेष 10% धनराशि संबंधित पंचायत उद्योगों/अंशधारी गांव सभाओं द्वारा अपने संसाधनों से वहन की जायेगी ।

4- उक्त धनराशि का आहरण जिस कोषागार द्वारा जिस तिथि को किया जाये, उसकी सूचना अविनम्ब महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, निदेशक, पंचायत राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा शासन को भेजी जाये ।

5- इस धनराशि का उपभोग दिनांक 31 मार्च, 1993 तक अवश्य हो जाना चाहिए तथा धनराशि का पूर्ण उपयोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, निदेशक, पंचायत राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ और शासन को उपलब्ध करा दिया जाये ।

6- इस अनुदान पर वे ही नियम लागू होंगे, जो वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16 ए में दिये गये हैं तथा इससे संबंधित लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के विवेकानुसार की जा सकेगी।

7- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-4 के अधीन शीर्षक "2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-आयोजनागत-101-पंचायतीराज-800-अन्य-अन्य-व्यय-04-पंचायत उद्योगों के लिए कार्यशाला भवनों का निर्माण (जिला योजना)-19-लघु निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

8- ये आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या : ई-2-1249/दस-1992 दिनांक 12-8-92 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:-यथोपरि

भवदीय,

बी० एम० सिंह शीनेत
संयुक्त सचिव।

संख्या : 2722/1/33-3-60 पी/91 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- जिलाधिकारी, एटा, फिरोजाबाद, पीलीभीत, बिजनौर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, बांदा, मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर, सोनभद्र, गोरखपुर, मऊ, सीतापुर, बहराइच, सुल्तानपुर।
- 3- मण्डलायुक्त, आगरा मण्डल, वरेली मण्डल, मुरादाबाद मण्डल, इलाहाबाद मण्डल, झांसी मण्डल, वाराणसी मण्डल, गोरखपुर मण्डल, लखनऊ मण्डल, फैजाबाद मण्डल।
- 4- निदेशक, पंचायत राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- कोषाधिकारी, एटा, फिरोजाबाद, पीलीभीत, बिजनौर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, बांदा, मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर, सोनभद्र, गोरखपुर, मऊ, सीतापुर, बहराइच, सुल्तानपुर।
- 6- मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 7- समस्त सम्बन्धित जिला विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास)/मुख्य विकास अधिकारी।
- 8- सचिव, समाज कल्याण अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 9- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3/ग्राम्य विकास अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-2 उत्तर प्रदेश शासन।
- 10- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, (पंचायत), उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

बी० एम० सिंह शीनेत
संयुक्त सचिव।

संलग्नक

पंचायत उद्योगों के लिए कार्यशाला भवनों का निर्माण जिला योजना वर्ष 1992-93

(घनराशि रुपये में)

क्रमांक	नाम जनपद	आवंटित घनराशि
1-	एटा	90,000
2-	फिरोजाबाद	90,000
3-	पीलीभीत	1,80,000
4-	बिजनौर	90,000
5-	इलाहाबाद	2,70,000
6-	प्रतापगढ़	90,000
7-	बांदा	90,000
8-	मिर्जापुर	1,80,000
9-	जौनपुर	1,80,000
10-	गाजीपुर	90,000
11-	सोनभद्र	1,80,000
12-	गोरखपुर	90,000
13-	मऊ	90,000
14-	सीतापुर	3,60,000
15-	बहराइच	1,80,000
16-	सुल्तानपुर	90,000
	योग	23,40,000

(रुपये तेईस लाख चासीस हजार मात्र)

बी० एम० सिंह श्रीनेत
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

जनपदवार पंचायत उद्योगों का प्रगति विवरण वर्ष 1990-91
(धनराशि लाख रुपये में)

(मार्च, 1991 तक)

क्र.सं०	नाम जनपद	निर्धारित लक्ष्य 1990-91	उत्पादन	बिक्री	लाभ
1-	भेरठ		78.99	76.61	2.80
2-	सहारनपुर		55.63	52.31	2.32
3-	मुजफ्फर नगर		20.59	18.66	1.28
4-	गाजियाबाद		79.72	76.00	2.90
5-	बुलन्दशहर		30.22	30.62	0.44
6-	हरिद्वार		17.00	17.18	0.79
7-	भागरा		16.68	15.30	1.23
8-	अलीगढ़		66.78	66.68	1.09
9-	मथुरा		12.09	10.87	0.76
10-	मैनपुरी		23.35	20.63	1.13
11-	एटा		30.10	30.00	2.34
12-	फिरोजाबाद		9.74	9.55	0.38
13-	बरेली		47.67	51.03	3.40
14-	बदायूं		50.57	63.82	2.98
15-	शाहजहांपुर		24.31	24.80	0.48
16-	पीलीभीत		11.92	10.72	0.50
17-	मुरादाबाद		71.31	74.37	2.15
18-	बिजनौर		20.89	20.33	0.84
19-	रामपुर		12.25	11.70	0.34
20-	कानपुर (न0/दे0)		26.80	23.86	1.83
21-	इटावा		36.27	36.57	2.15
22-	फर्रुखाबाद		19.28	16.56	0.93
23-	इलाहाबाद	40	50.56	59.93	2.84
24-	प्रतापगढ़	20	17.62	17.95	1.64
25-	फतेहपुर	10	15.01	15.93	1.09
26-	झांसी	30	15.41	14.44	1.45
27-	ललितपुर	15	17.51	14.29	0.87
27-	जालौन	15	20.32	19.87	1.47
29-	हमीरपुर	10	12.82	13.04	1.16
30-	बांदा	18	17.66	14.82	1.33

1	2	3	4	5	6
31-	वाराणसी	45	39.87	39.17	3.71
32-	मिर्जापुर	15	22.80	22.75	1.67
33-	जौनपुर	20	19.96	17.34	1.09
34-	गाजीपुर	15	15.50	14.31	0.82
35-	वलिया	10	12.97	13.30	0.82
36-	सोनभद्र	05	9.75	19.10	0.49
37-	गोरखपुर	30	30.90	28.24	0.90
38-	बस्ती	15	10.29	10.37	0.37
39-	देवरिया	70	46.08	45.61	1.45
40-	आजमगढ़	15	7.56	6.80	0.68
41-	महाराजगंज	05	14.25	14.25	0.56
42-	सिद्धार्थनगर	05	6.51	2.15	0.57
43-	मऊ	05	5.02	4.59	0.35
44-	देहरादून	15	15.28	14.22	0.70
45-	उत्तरकाशी	12	11.94	11.95	0.33
46-	चमोली	05	3.39	3.30	0.26
47-	पौड़ीगढ़वाल	05	2.50	1.62	0.17
48-	टिहरीगढ़वाल	08	8.67	7.59	0.62
49-	नैनीताल	15	14.20	14.14	0.17
50-	अल्मोड़ा	20	5.77	6.23	0.35
51-	पिथौरागढ़	07	5.11	5.97	0.60
52-	लखनऊ	50	50.29	51.25	2.04
53-	उन्नाव	10	12.99	12.92	1.00
54-	रायबरेली	15	15.49	13.16	1.19
55-	सीतापुर	35	48.43	46.89	0.33
56-	हरदोई	45	93.86	93.34	8.92
57-	छीरी	15	19.96	20.39	1.92
58-	फैजाबाद	25	23.53	20.40	1.95
59-	गोण्डा	20	15.42	14.70	0.88
60-	बहराइच	25	52.68	55.38	2.64
61-	मुल्तानपुर	25	20.56	14.54	0.87
62-	बाराबंकी	25	24.03	24.68	2.24

योग : उत्तर प्रदेश : 15 करोड़, 80 लाख, 16 करोड़, 22 लाख, 15 करोड़, 95 लाख, 87 लाख (लाभ)

केन्द्रीय प्रिन्टिंग प्रेसों का प्रगति विवरण वर्ष 1991-92

धनराशि लाख रुपयों में

नाम जनपद	लक्ष्य	उत्पादन	विक्री	लाभ
1- मेरठ	20.00	7.62	7.48	0.50
2- सहारनपुर	5.00	0.21	0.15	0.01
3- गाजियाबाद	20.00	7.00	7.14	0.36
4- बुलन्दशहर	15.00	प्रेस बन्द है		
5- आगरा	15.00	3.70	3.87	0.28
6- एटा	15.00	0.12	0.12	0.06
7- बरेली	10.00	11.38	12.29	0.90
8- बदायूं	10.00	0.72	0.80	0.08
9- पीलीभीत	10.00	0.35	0.06	0.03
10- मुरादाबाद	10.00	8.00	8.16	0.16
11- इलाहाबाद	10.00	10.90	9.90	0.43
12- प्रतापगढ़	10.00	1.33	1.15	0.11
13- फतेहपुर	5.00	1.05	1.11	0.05
14- कानपुर	15.00	15.22	13.72	1.52
15- इटावा	26 मार्च 92 को प्रेस का उद्घाटन हुआ			
16- झांसी	5.00	1.92	1.76	0.18
17- ललितपुर	5.00	0.44	0.46	0.04
18- बांदा	10.00	3.32	2.40	0.24
19- लखनऊ	20.00	13.02	13.80	0.79
20- उन्नाव	5.00	0.85	1.00	0.10
21- सीतापुर	5.00	0.63	0.77	0.08
22- हरदोई	20.00	15.88	15.99	1.55
23- खीरी	10.00	8.53	9.40	0.98
24- वस्ती	10.00	9.55	9.64	0.48
25- आजमगढ़	10.00	4.66	3.16	0.28

नाम जनपद	धनराशि लाख रुपयों में			
	लक्ष्य	उत्पादन	बिक्री	लाभ
26- देवरिया	10.00	3.22	3.20	0.21
27- महाराजगंज	10.00	4.38	4.38	0.24
28- वाराणसी	10.00	11.44	10.51	0.98
29- गाजीपुर	5.00	2.00	2.18	0.18
30- बलिया	5.00	5.32	5.21	0.25
31- जौनपुर	10.00	1.62	1.78	0.19
32- फैजाबाद	5.00	प्रैस अभी चालू नहीं हुई		
33- बहराइच	10.00	8.40	9.17	0.77
34- सुल्तानपुर	10.00	10.90	9.90	0.43
35- बाराबंकी	10.00	1.76	1.56	0.15
महायोग	335.00	168.44	165.08	12.25
	—	7.00	7.14	0.36
	335.00	175.44	172.22	12.61

जनपदवार पंचायत उद्योगों के उत्पादन, बिक्री, लाभ का विवरण
वर्ष (1991-92) मार्च, 1992 तक (घनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	नाम जनपद	निर्धारित लक्ष्य	उत्पादन	बिक्री	लाभ
1	2	3	4	5	9
1-	मेरठ	80	92.11	92.20	2.22
2-	सहारनपुर	95	59.06	53.89	2.03
3-	मुजफ्फरनगर	50	31.89	32.28	1.09
4-	गाजियाबाद	90	79.57	84.97	2.29
5-	बुलन्दशहर	45	25.76	27.55	1.08
6-	हरिद्वार	25	23.87	21.87	0.55
7-	आगरा	40	30.00	35.23	1.93
8-	बलीगढ़	95	54.58	52.41	1.72
9-	मथुरा	40	25.61	24.85	1.44
10-	मैनपुरी	25	28.11	22.12	1.67
11-	एटा	40	44.00	40.00	2.38
12-	फिरोजाबाद	25	20.39	15.79	1.03
13-	बरेली	50	63.10	66.31	4.36
14-	बदायूं	60	61.55	63.26	2.16
15-	शाहजहांपुर	50	45.52	45.01	2.33
16-	पीलीभीत	25	19.85	13.14	0.67
17-	मुरादाबाद	94	95.71	95.69	2.38
18-	रामपुर	25	14.25	14.65	0.42
19-	बिजनौर	25	23.18	23.96	1.22
20-	इलाहाबाद	60	75.70	72.16	4.19
21-	प्रतापगढ़	25	22.44	21.97	1.94
22-	फतेहपुर	20	23.56	33.42	1.28
23-	कानपुर (न०/दे०)	40	55.57	48.34	4.24
14-	इटावा	40	49.93	51.20	3.09
25-	फर्रुखाबाद	25	15.41	15.72	1.06
26-	झांसी	30	35.63	28.55	2.62
27-	ललितपुर	20	19.89	16.95	1.16
28-	जालौन	20	30.93	30.90	1.85
29-	हमीरपुर	20	16.62	12.93	1.08
30-	बांदा	20	25.25	25.00	1.73

1	2	3	4	5	6
31-	लखनऊ	50	70.19	73.21	3.80
32-	उन्नाव	20	28.73	30.40	1.94
33-	रायबरेली	20	22.71	19.88	1.25
34-	सीतापुर	40	36.89	33.99	2.59
35-	हरदोई	60	100.92	100.05	9.67
36-	खीरी	20	28.38	30.17	2.69
37-	गोरखपुर	30	24.20	18.30	0.73
38-	बस्ती	25	14.66	14.23	0.00
39-	आजमगढ़	25	23.76	18.40	1.43
40-	देवरिया	50	48.77	47.39	0.28
41-	महाराजगंज	15	20.09	25.04	1.49
42-	सिद्धार्थनगर	10	11.10	9.59	0.66
43-	मऊ	10	13.88	12.01	1.07
44-	बाराणसी	50	45.08	42.86	3.47
45-	गाजीपुर	20	20.38	18.12	1.41
46-	बलिया	15	22.71	23.11	1.11
47-	मिर्जापुर	20	30.57	30.14	1.25
48-	जौनपुर	25	17.97	16.73	1.19
49-	सोनभद्र	10	15.04	15.66	1.42
50-	पीडीगढ़वाल	5	4.51	4.60	0.32
51-	टिहरीगढ़वाल	5	6.41	5.57	0.46
52-	चमोली	5	4.37	4.38	0.37
53-	उत्तरकाशी	10	11.42	0.47	0.24
54-	देहरादून	15	19.08	18.97	0.80
55-	नैनीताल	20	18.25	18.08	0.64
56-	अल्मोड़ा	20	7.53	6.14	0.64
57-	पिथौरागढ़	5	6.63	5.53	—
58-	फैजाबाद	25	28.77	25.88	2.57
59-	गोण्डा	20	17.67	14.13	0.98
60-	बहराइच	35	55.98	56.71	3.29
61-	सुल्तानपुर	25	31.60	30.41	2.31
62-	बाराबंकी	25	21.04	20.71	1.98
उत्तर प्रदेश		220.00	20,51.00	19,45.90	1,09.00
कुल योग :			200.50	195.04	109.00

वर्ष 92-93 का प्रिन्टिंग प्रेस का प्रगति विवरण माह मार्च, 1992-93 तक की स्थिति

(धनराशि लाख रुपयों में)

क्र०सं०	नाम जनपद	लक्ष्य	उत्पानन	बिक्री	लाभ
1-	मेरठ	20	15.32	14.74	0.80
2-	सहारनपुर	15	1.43	1.43	0.31
3-	गाजियाबाद	20	6.94	7.23	0.30
4-	बुलन्दशहर	10	—	—	—
5-	आगरा	15	7.21	4.27	0.35
6-	एटा	15	1.93	1.56	0.07
7-	फिरोजाबाद	10	1.48	1.55	0.29
8-	बरेली	15	15.65	16.70	1.49
9-	बदायूं	10	1.97	2.16	0.12
10-	पीलीभीत	10	0.61	0.40	0.03
11-	मुरादाबाद	12	9.91	10.03	0.27
12-	बिजनौर	10	1.05	0.42	0.05
13-	कानपुर	20	14.04	11.72	1.30
14-	इटावा	10	2.37	2.33	0.23
15-	इलाहाबाद	15	20.88	22.09	1.04
16-	प्रतापगढ़	10	4.31	4.16	0.30
17-	फतेहपुर	10	3.74	3.63	0.16
18-	झाँसी	10	6.19	6.11	0.61
19-	ललितपुर	10	2.76	2.41	0.18
20-	जालौन	10	3.61	2.81	0.15
21-	अलीगढ़	10	5.05	4.45	0.21
22-	हमीरपुर	10	2.79	3.06	0.30
23-	बाँदा	10	2.10	2.22	0.30
24-	वाराणसी	15	7.37	6.99	0.50
25-	जौनपुर	10	10.14	10.25	0.82
26-	गाजीपुर	10	3.30	3.49	0.27
27-	बलिया	10	6.46	6.74	0.32
28-	बस्ती	12	12.02	12.76	0.71
29-	देवरिया	10	4.70	5.55	0.31
30-	आजमगढ़	10	10.09	5.24	0.50

क्र० सं०	नाम जनपद	लक्ष्य	उत्पादन	विक्री	लाभ
31-	महाराजगंज	10	6.51	6.51	0.58
32-	लखनऊ	20	14.97	16.18	1.18
33-	उन्नाव	10	2.76	3.02	0.26
34-	सीतापुर	10	2.93	2.94	2.05
35-	हरदोई	20	16.94	16.69	0.69
36-	खीरी	12	10.50	11.20	1.10
37-	फैजाबाद	10	15.89	15.83	1.10
38-	गोण्डा	10	9.47	4.55	0.40
39-	बहराइच	15	9.04	9.82	0.78
40-	सुल्तानपुर	15	0.68	0.48	0.01
41-	वाराणसी	10	20.37	1.80	0.21

महा योग :—496.00 लाख 277.49 ,, 365.23 ,, 20.99
277.49 लाख

पंचायत उद्योगों के उत्पादन, बिक्री एवं लाभ का माह मार्च, 1993 का प्रगति विवरण
(धनराशि लाख रुपयों में)

क्र०सं०	नाम जनपद	उत्पादन का लक्ष्य	उत्पादन	बिक्री	लाभ
1-	मेरठ	100	93.93	92.85	3.06
2-	सहारनपुर	100	63.44	55.29	2.12
3-	मुजफ्फरनगर	40	35.24	31.35	1.74
4-	गाजियाबाद	110	77.07	79.85	1.55
5-	बुलन्दशहर	50	29.71	29.33	0.55
6-	हरिद्वार	25	23.82	23.82	0.56
7-	आगरा	45	24.23	13.45	1.11
8-	अलीगढ़	75	71.30	68.33	2.12
9-	मथुरा	40	25.02	25.60	1.01
10-	मैनपुरी	30	31.82	27.89	1.47
11-	एटा	40	45.40	44.15	2.04
12-	फिरोजाबाद	30	25.99	24.72	1.23
13-	बरेली	80	57.85	61.91	4.20
14-	बदायूं	70	63.18	62.10	2.72
15-	शाहजहाँपुर	40	45.20	45.09	1.61
16-	पीलीभीत	30	21.68	16.32	0.66
17-	मुरादाबाद	100	91.98	88.12	2.01
18-	बिजनौर	30	26.54	24.45	1.60
19-	रामपुर	20	20.69	21.46	0.77
20-	कानपुर	65	35.61	31.41	2.93
21-	इटावा	50	58.09	51.17	2.85
22-	फर्रुखाबाद	20	24.46	23.03	1.18
23-	इलाहाबाद	75	57.61	56.42	3.21
24-	प्रतापगढ़	25	21.29	19.56	1.61
25-	फतेहपुर	20	24.23	20.48	0.89
26-	झाँसी	34	29.72	26.02	2.45
27-	ललितपुर	20	11.75	10.51	0.81
28-	जालौन	25	29.84	27.30	1.77
29-	हमीरपुर	20	18.55	18.78	1.34
30-	बाँदा	25	20.91	18.26	1.37
31-	वाराणसी	40	38.68	34.89	1.82
32-	मिर्जापुर	30	35.98	36.47	2.44

क्रम सं०	नाम जनपद	उत्पादन का लक्ष्य	उत्पादन	बिक्री	लाभ
33-	जौनपुर	25	17.88	15.23	0.87
34-	गाजीपुर	25	20.46	18.01	0.97
35-	बलिया	20	20.03	20.63	1.01
36-	सोनभद्र	15	18.30	18.55	1.04
37-	गोरखपुर	35	10.81	21.58	1.00
38-	बस्ती	25	10.82	10.90	0.63
39-	देवरिया	40	39.46	36.95	1.63
40-	आजमगढ़	25	26.78	16.22	1.48
41-	महाराजगंज	20	16.67	16.67	1.00
42-	सिद्धार्थनगर	10	13.85	12.51	0.96
43-	मऊ	10	19.01	17.23	1.27
44-	देहरादून	15	19.50	19.58	0.65
45-	उत्तरकाशी	15	12.96	13.23	0.59
46-	चमोली	5	7.25	4.82	0.35
47-	पौड़ी गढ़वाल	5	4.64	4.85	0.34
48-	टिहरी गढ़वाल	5	10.98	9.75	8.84
49-	नैनीताल	15	18.72	19.02	0.64
50-	बल्मोड़ा	13	7.50	10.06	0.33
51-	पिथौरागढ़	6	2.58	1.86	0.19
52-	लखनऊ	60	72.00	73.47	3.74
53-	उन्नाव	25	33.29	35.32	2.06
54-	रायबरेली	20	24.97	23.53	1.27
55-	सीतापुर	40	47.61	47.29	3.23
56-	हरदोई	80	41.98	46.28	4.44
57-	खीरी	20	23.20	23.06	1.80
58-	खीरी	20	18.44	13.14	1.27
59-	फैजाबाद	15	17.84	10.22	0.85
60-	गोण्डा	45	65.31	68.13	3.85
61-	बहराईच	20	36.64	30.94	1.33
62-	सुल्तानपुर	26	26.46	25.06	1.52
			1994.58	1894.49	97.91
	महायोग : उत्तर प्रदेश		277.49	265.23	20.99
	प्रिन्टिंग प्रेसों द्वारा योग :		2250	2159.72	118.90
	कुल योग		2272.07	2159.72	118.90